हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड निर्माण मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अंकेक्षण की अवधि 4/97 से 3/98

भाग-एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :- गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित निपटाए गए तथा अभी तक भी अनिर्णीत पड़े पैरों का विवरण निम्न दिया जाता है । अत्याधिक लम्बी अवधि से अनिर्णीत पड़े पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र ठोस पग उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1. पैरा 4(1):-	अनिर्णीत ।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87 :-

1. पैरा 5(ई)	अनिर्णीत ।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88

1. पैरा 5(ए)(1)	अनिर्णीत ।
2. पैरा 5(क्यू):-	अनिर्णीत ।
3. पैरा 6(डी)	अनिर्णीत ।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1. पैरा 4(1)(सी)	अनिर्णीत ।
2. पैरा 7(ई)	अनिर्णीत ।
3. पैरा 5(1,2,5,7 तथा 8)	अनिर्णीत ।
4. पैरा 5(11, 12)	अनिर्णीत ।
5. पैरा 6(3)	अनिर्णीत ।
6. पैरा 7(2)(सी से एफ तक)	अनिर्णीत ।
7. पैरा 7(3)(ए)(2)	अनिर्णीत ।
8. पैरा 8(6 और 17)	अनिर्णीत ।

(ङ.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91 तक :-

1. पैरा4(10)(ग)	अनिर्णीत ।
2. पैरा 4(12)	अनिर्णीत ।
3. पैरा 6(5)	अनिर्णीत ।
4. पैरा 9(6)	अनिर्णीत ।
5. पैरा 9(8)	अनिर्णीत ।

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92 तक :-

1. पैरा 5(घ)	अनिर्णीत ।

लगा. पृ. 2 पर...

4/4 फिलिंग इन प्लाथ वाद वॉटर अण्डर फ्लोर रैम्पिंग एण्ड ... " के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

2.	पैरा 7§क§	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 10§ग§	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 11§घ§	अनिर्णीत ।

§छ§ <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93 तक:-</u>

1.	पैरा 4	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 5	निर्णीत ।
3.	पैरा 6	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 10	निर्णीत ।
5.	पैरा 11	निर्णीत ।
6.	पैरा 17	निर्णीत ।

§ज§ <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94 तक :-</u>

1.	पैरा 6§ग§	निर्णीत ।
2.	पैरा 8	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 9	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 13§ख§	निर्णीत
5.	पैरा 16	निर्णीत ।
6.	पैरा 19§1§	निर्णीत
7.	पैरा 21	अनिर्णीत
8.	पैरा 25§घ§	निर्णीत ।
9.	पैरा 30	निर्णीत ।

~~8==पैरा~~

§झ§ <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95 तक :-</u>

1.	पैरा 5	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 6	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 7	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 8	निर्णीत ।
5.	पैरा 9	अनिर्णीत
6.	पैरा 10	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 11	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 12	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 13	अनिर्णीत
10.	पैरा 16	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 24	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 25	निर्णीत ।
13.	पैरा 26	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 28	निर्णीत
15.	पैरा 30	निर्णीत ।
16.	पैरा 31	अनिर्णीत ।
17.	पैरा 32	आंशिक रूप से निपटाया गया

लगातार पृष्ठ 3 पर...

"पींथ वीद वोल्डर अन्डर फ्लोर रैमिंग एण्ड ~~[illegible]~~ 4/4 फिलिंग इन प्लींथ ... कम्प्लीट" के कराए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु ... [illegible]

लगातार पृष्ठ 23 पर....

18. पैरा 33 अनिर्णीत ।
19. पैरा 34 आंशिक रूप से निपटाया गया।
20. पैरा 35 अनिर्णीत ।
21. पैरा 41 अनिर्णीत ।
22. पैरा 42 अनिर्णीत ।
23. पैरा 44 अनिर्णीत ।
24. पैरा 46 अनिर्णीत ।

(ज) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96 तक</u> :-

1. पैरा 6 :- अनिर्णीत ।
2. पैरा 7 अनिर्णीत ।
3. पैरा 8(क)(1 से 4) अनिर्णीत ।
4. पैरा 8(ख,ग) निर्णीत ।
5. पैरा 9 निर्णीत ।
6. पैरा 11 निर्णीत ।
7. पैरा 12 निर्णीत ।
8. पैरा 14 निर्णीत ।
9. पैरा 15 अनिर्णीत ।
10. पैरा 16 निर्णीत
11. पैरा 17 अनिर्णीत ।
12. पैरा 18 अनिर्णीत ।
13. पैरा 19(क)(ग)(ड0) अनिर्णीत ।
14. पैरा 19(ख)(घ) निर्णीत ।
15. पैरा 20 (क)(ख)(ग)(ड0)(घ) निर्णीत ।
16. पैरा 20(घ) अनिर्णीत ।
17. पैरा 21 निर्णीत ।
18. पैरा 22 निर्णीत ।
19. पैरा 23 अनिर्णीत ।
20. पैरा 24 अनिर्णीत ।
21. पैरा 25 निर्णीत ।
22. पैरा 26 निर्णीत
23. पैरा 27 अनिर्णीत
24. पैरा 28(क)(ख)(घ) निर्णीत ।
25. पैरा 28(ग) अनिर्णीत ।
26. पैरा 29(क)(ख) अनिर्णीत ।
27. पैरा 29(ग) निर्णीत ।
28. पैरा 30(क) अनिर्णीत ।
29. पैरा 30(ख) निर्णीत ।
30. पैरा 31 अनिर्णीत ।
31. पैरा 34 अनिर्णीत ।
32. पैरा 35 अनिर्णीत ।
33. पैरा 37 अनिर्णीत ।

लगातार पृष्ठ 4 पर....

34. पैरा 38 — निर्णीत ।
35. पैरा 39 §क§ — निर्णीत ।
36. पैरा 40 — निर्णीत ।
37. पैरा 42 — अनिर्णीत ।
38. पैरा 43 — अनिर्णीत
39. पैरा 44 — निर्णीत ।
40. पैरा 45 — अनिर्णीत ।
41. पैरा 46 — निर्णीत
42. पैरा 47 — अनिर्णीत
43. पैरा 48 — निर्णीत ।
44. पैरा 49 — निर्णीत ।
45. पैरा 50 — निर्णीत ।
46. पैरा 51 — निर्णीत ।
47. पैरा 52 — अनिर्णीत ।

§ट§ अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97 तक :-

1. पैरा 4 — निर्णीत ।
2. पैरा 5 — निर्णीत ।
3. पैरा 6§क,ग,छ,ज,झ,ञ,ट,ठ,ड§ — अनिर्णीत ।
4. पैरा 6§ख,घ,ङ,च,ढ,ण§ — निर्णीत ।
5. पैरा 7§क,ख,ग,घ§ 1§
6. पैरा 7§घ§2§,§3§,ड0,घ§ — अनिर्णीत
7. पैरा 8 — अनिर्णीत ।
8. पैरा 9 — निर्णीत ।
9. पैरा 10 — निर्णीत ।
10. पैरा 11 — अनिर्णीत
11. पैरा 12§क,ख,ग,ङ0§ — निर्णीत ।
12. पैरा 12§घ,च§ — अनिर्णीत ।
13. पैरा 13 — निर्णीत ।
14. पैरा 14 — निर्णीत ।
15. पैरा 15 — निर्णीत ।
16. पैरा 16 — अनिर्णीत ।
17. पैरा 17 — निर्णीत ।
18. पैरा 18 — निर्णीत ।
19. पैरा 19 — निर्णीत ।
20. पैरा 20 — निर्णीत ।
21. पैरा 21 — निर्णीत ।
22. पैरा 22 — निर्णीत ।
23. पैरा 23 — निर्णीत ।
24. पैरा 24 — निर्णीत ।
25. पैरा 25 — निर्णीत ।
26. पैरा 26

लगातार पृष्ठ 5 पर ..

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद वोल्डर अण्डर फ्लोर रेमिंग एण्ड ... कार्य हेतु ... के कराए गए 147.49 घन मी. ... कम्पैक्टिंग ...

लगातार पृष्ठ 23 पर....

27.	पैरा 27	निर्णीत ।
28.	पैरा 28	निर्णीत ।
29.	पैरा 29	निर्णीत ।
30.	पैरा 30	निर्णीत ।
31.	पैरा 31	निर्णीत ।
32.	पैरा 32	निर्णीत ।
33.	पैरा 33	निर्णीत ।
34.	पैरा 34	निर्णीत ।
35.	पैरा 35	निर्णीत ।
36.	पैरा 36	निर्णीत ।
37.	पैरा 37	निर्णीत ।
38.	पैरा 38	निर्णीत ।
39.	पैरा 39	निर्णीत ।
40.	पैरा 40	निर्णीत ।
41.	पैरा 41	निर्णीत ।
42.	पैरा 42	निर्णीत ।
43.	पैरा 43	निर्णीत ।
44.	पैरा 44	अनिर्णीत ।
45.	पैरा 45	अनिर्णीत ।
46.	पैरा 46	निर्णीत ।
47.	पैरा 47	निर्णीत ।
48.	पैरा 48	अनिर्णीत ।
49.	पैरा 49	निर्णीत ।
50.	पैरा 50	निर्णीत
51.	पैरा 51	निर्णीत ।
52.	पैरा 52	निर्णीत ।
53.	पैरा 53	निर्णीत
54.	पैरा 54	अनिर्णीत ।
55.	पैरा 55	निर्णीत ।
56.	पैरा 56	अनिर्णीत ।
57.	पैरा 57	अनिर्णीत ।
58.	पैरा 58	आंशिक रूप से निपटाया गया।
59.	पैरा 59	अनिर्णीत ।
60.	पैरा 60	निर्णीत ।
61.	पैरा 61	निर्णीत ।
62.	पैरा 62	निर्णीत ।
63.	पैरा 63	निर्णीत ।
64.	पैरा 64.	निर्णीत ।
65.	पैरा 65	निर्णीत ।
66.	पैरा 66	निर्णीत ।

लगातार पृष्ठ 6 पर...

भाग-दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण :-** हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के अवधि 4/97 से 3/98 तक के लेखाओं का वर्तमान लेखा परीक्षण सर्व श्री सुरेश गुप्ता तथा संगीत भूषण अनुभाग अधिकारियों व सर्व श्री राज कुमार शर्मा और पेत राम ठाकुर लेखा परीक्षकों द्वारा श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक के पर्यवेक्षण में दिनांक 18.9.98 से 11.11.1998 तक धर्मशाला में किया गया । मास 6/97 व 3/98 के लेखाओं का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया । अंकेक्षण के परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया जाता है ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :-** वर्ष 1997-98 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क के सम्बन्ध में आवास बोर्ड मुख्यालय से पृथक से अनुरोध किया जाएगा ।

4. **अग्रिम :-**

(क) **कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-** हि० प्र० आवास बोर्ड मण्डल , धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम निम्न अग्रिमों के रूप में निम्नलिखित राशियां दिनांक 31.3.98 को समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी, जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है । अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने,स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है । लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित भी हो चुके हैं परन्तु अग्रिम राशियों का समायोजन करवाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं । इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही शीघ्र की जाए :-

(1)	स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम	1815.00
(2)	यात्रा अग्रिम	6505.00
(3)	वेतन अग्रिम	3004.00
(4)	अवकाश रियायती यात्रा अग्रिम	11235.00
(5)	स्टाफ अग्रिम	38348.00

(ख) **विविध अग्रिम :-** हि० प्र० आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला के अधीन
विभिन्न विभागों/संस्थाओं/ फर्मों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक
31.3.98 को मुवलिग 19,34,941.04 रुपये की राशि समायोजनार्थ शेष
पड़ी थी, जिसका विवरण आवास बोर्ड के लेखाओं में दिया गया है । उपरो-
क्त अग्रिमों की समय पर वसूली/समायोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही
चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिमों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना
किसी औचित्य के ही रखना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है।
इसके विपरीत अग्रिम राशियों को वसूलने/समायोजन हेतु कोई भी ठोस
~~इसके~~ प्रयास नहीं किए गए हैं । अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान
में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ।

लगातार पृष्ठ 7 पर....

इन प्लींथ वीद वोल्टर अन्डर फ्लोर रैम्मिंग एण्ड/फ्लोर-
... फिलिंग इन [illegible] ... लगाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु [illegible]

5. आवास बोर्ड बस्ती पालमपुर तथा कांगड़ा के मकान/प्लाट मालिकों से मार्च 1998 तक 3,92,775.00रुपये की बस्तियों के रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना :-

आवास बोर्ड की पालमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों से प्राप्त होने वाले रख-रखाव प्रभार की लम्बित पड़ प्रभार राशियों की वसूली हेतु मण्डल स्तर पर प्रयास किया जाए या सम्बन्धित उपमण्डलों से इन राशियों की तुरन्त या सुनियोजित ढंग से वसूल करने के निर्देश दिए जायें । इसके अतिरिक्त आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलीयां की गई व कितनी वसूलियां शेष हैं, का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखों में भी दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण डेबिटर्ज एंव क्रेडिटर्ज का तभी पता चल सकेगा । उपमण्डल पालमपुर तथा कांगड़ा द्वारा रखे गये रख-रखाव प्रभार खातों की जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.98 तक पालमपुर तथा कांगड़ाकी बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से 3,92,775.00रुपये की वसूलियां शेष थी तथा कुछ मकान/प्लाट मालिकों से इस प्रभार को लागू करने की तिथि से अंकेक्षण की अवधि तक किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई थी । रिकार्ड की छानबीन करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं । अतः शेष रख-रखाव प्रभार की राशियों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

दिनांक 31.3.98 तक इस प्रकार की शेष वसूलियों का विवरण निम्न प्रकार था :-

(क) आवास बस्ती, पालमपुर :-

क्र.सं.	आंबटी का नाम	प्लाट/मकान संख्या	बकाया राशि(रु.)
1.	श्री एस.सी. व्यास	एच.आई.जी-6	3288.00
2.	श्री गैन्डा लाल बंसल	एम.आई.जी-8	520.00
3.	श्रीमति आशा बंसल	-"- -"-9	433.00
4.	श्री राजेन्द्र सिंह	एम.आई.जी.-20	433.00
5.	श्री मेजर मलिक नाथ	-"- -15	5029.00
6.	श्रीमति प्रोमिला कंवर	-"- -19	527.00
7.	श्रीमति आदेश	-"- -20	3552.00
8.	श्रीमति चंचल सूद	-"- -37	1430.00
9.	श्रीमति जगतम्बा देवी	-"- -38	7780.00
10.	डा.के.के. परमार	-"- -52	7076.00
11.	श्रीमति प्रोमिला सूद	-"- -53	297.00
12.	श्री राम प्रकाश नागपाल	-"- -55	2534.00
13.	श्री आर.सी. गुप्ता	एल.आई.जी-56	6169.00
14.	श्रीमति जय देवी	-"- -57	2534.00
15.	श्रीमति विमला कटोच	-"- -59	297.00

लगातार पृष्ठ 8 पर...

4/4 फिलिंग इन प्लीथ वीद वोल्डर अण्डर फ्लोर रैम्मिंग एण्ड कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

16.	निदेशक को.आरडी-नेटिंग कांगड़ा	एम.आई.जी.-21 से 31	93625.00
17.	मुख्य अभियन्ता, बी.एण्ड आर.धर्मशाला	एम.आई.जी-39,40 तथा 42	40733.00
18.	निदेशक,को.आरडी-नेटिंग पालमपुर	---"---- -44	14170.00
19.	सहायक निदेशक समाज---भारतीय कौंसिल वानिकी,शोध शिक्षा देहरादून।	---"----- -46	13487.00
20.	निदेशक, सी.एस.आई. आर,के.एण्ड के0	---"--- -47व48	25815.00
21.	कर्नल अशोक मल्होत्रा	---"----- 50	134678.00
22.	श्री राजीव गम्भीर	---"--- 33	433.00
23.	श्री पी.एस.मनेकोटिया	---"-- 34	1265.00
24.	श्रीमति चन्द्रकान्ता	---"-- -- 35	8982.00
25.	मुख्य अभियन्ता,बी. एण्ड आर.धर्मशाला	एस.आई.जी.-68	23329.00
26.	श्री शेर सिंह	एल.आई.जी-81	1434.00
27.	श्री आर.के.सूद	-"- -"- 84	2534.00
28.	श्री गोपाल राम	" " " 85	297.00
29.	श्रीमति राज पठानिया	" " " 86	867.00
30.	निदेशक(क्षेत्रिय) सी.एस.आई.आर.	एल.आई.जी-87,88 तथा 90 से 93	36942.00
31.	मुख्य अभियन्ता, बी.एण्ड आर.धर्मशाला	एच.आई.जी-2 से 3	30587.00
32.	श्री मनोहर लाल शर्मा	-"- -"- 71	5268.00
33.	श्रीमति मीरा वीरभानी	" " " 73	758.00
34.	श्री गोपाल कृष्ण सूद	-"- -"- 74	260.00
35.	श्री ओंकार चन्द सूद	-"- -"- -"-75	897.00
36.	श्रीमति शारदा सिंह	-"- -"- -"-52-ए	2055.00
			359884.00

(ख) आवास बस्ती कांगड़ा:-

क्र.सं.	आंबटी का नाम	प्लाट/मकान सं.	बकाया राशि(रु.)
1.	श्री मधु सूदन	2	1780.00
2.	श्री के.सी.कटोच	6	1550.00
3.	श्री विश्वास मुर्ति शर्मा	15	248.00
4.	श्री ए.पी.शर्मा	16	855.00
5.	श्री एम.एल.शर्मा	17	199.00 लगा. पृष्ठ

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद वोल्डर अण्डर फ्लोर रैमिंग एण्ड कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

6.	श्री आर. कुमार महाजन	18	855.00
7.	" आर. सी. शर्मा	19	17.00
8.	" ओ. पी. शर्मा	20	855.00
9.	" एन. एल. शर्मा	21	855.00
10.	" राम स्नेही	22	855.00
11.	" सतीश कुमार	23	186.00
12.	" सत्यपाल	24	855.00
13.	" एम. एल. शर्मा	26	186.00
14.	" रेनू कुमार	27	248.00
15.	" एस. के. चौधरी	28	1091.00
16.	श्रीमति रेखा कुमार	29	855.00
17.	श्री गोपाल कृष्ण	33	186.00
18.	श्री वी. एस. नैयर	34	855.00
19.	श्री एस. भारद्वाज	35	23.00
20.	श्री रमेश चन्द शर्मा	36	855.00
21.	श्री ए. एस. माथुर	37	199.00
22.	श्री ज्ञान चन्द	38	78.00
23.	श्री हंस राज शर्मा	39	855.00
24.	श्री आर. के. सूद	40	855.00
25.	श्री के. सी. भारद्वाज	42	855.00
26.	श्री सुरेन्द्र कुमार	43	17.00
27.	श्री राम चन्द शर्मा	45	855.00
28.	श्री सन्जीव कुमार	46	78.00
29.	श्री के. के. दुग्गल	47	79.00
30.	श्री ललित खन्ना	48	855.00
31.	श्रीमति गुरप्यारी	49	855.00
32.	श्री रमेश चन्द अरोड़ा	50	248.00
33.	मेजर एस. आर. शर्मा	51	855.00
34.	श्रीमति ऊषा मनोचा	52	186.00
35.	श्री वी. के. धर	53	855.00
36.	श्री सन्जीव हाण्डा	54	1108.00
37.	श्री ए. एल. अबरोल	59	497.00
38.	श्री राजिन्द्र कुमार	62	497.00
39.	श्री अनिल सूद	61	497.00
40.	श्री नरेन्द्र कुमार	63	497.00
41.	श्रीमति सरिता थापर	[illegible]	497.00
42.	श्री सुरेन्द्र कुमार	67	11.00
43.	श्री राम स्वरूप शर्मा	69	116.00
44.	श्री ब्रज मोहन शर्मा	70	116.00
45.	श्री महेन्दर सिंह	71	497.00
46.	श्री विनोद कुमार	72	497.00
47.	श्रीमति मोनिका रानी	73	116.00
48.	श्रीमति रूपा तनुजा	74	497.00 लगा. पृ. 10..

4/4 फिलिंग इन प्लीथ बीद वो लहर अण्डर फ्लोर रैमिंग एण्ड कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

49.	श्रीमति उषा नागपाल	75	497.00
50.	श्री प्रबोध भाटिया	76	116.00
51.	श्रीमति विमला देवी	83	116.00
52.	श्री विनय प्रकाश	84	116.00
53.	श्रीमति सन्तोष वर्मा	85	497.00
54.	श्री अविनाश कुमार	86	497.00
55.	श्री विनोद कुमार शर्मा	1	438.00
56.	श्री कन्हैया लाल	4	438.00
57.	श्री वेद प्रकाश चौधरी	5	438.00
58.	श्री राजेन्द्र कुमार	7	438.00
59.	श्री प्रदीप राज	8	438.00
60.	श्री मोहन लाल	9	438.00
61.	श्री दलीप कुमार	10	438.00
62.	श्री जनक चावला	11	360.00
63.	श्रीमति गुलशन रानी	40	19.00
64.	श्री विनय कुमार	12 ए	52.00
65.	श्री बनवान मोंगा	41	102.00
66.	श्रीमति मंजु ग्रोवर	43	438.00
67.	श्री रणजीत शर्मा	44	438.00
			32891.00

6. समायोजन वाउचर सं0 4 माह 6/97 राशि 323754.00रूपये
कार्य का नाम :- 14 नं. एच.आई.जी. फ्लैटस
स्वत: वित्त योजना,धर्मशाला ।
अनुबन्ध संख्या : 5 वर्ष 1989-90
बिल संख्या : 15 वां व अन्तिम बिल
माप पुस्तिका सं0:- 600 व 583
संविदाकार का नाम:- मै0 युनाईटिड बिल्डर ।

उपरोक्त निर्माण कार्य के 15वें एवम अन्तिम बिल की जांच करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-

§क§ यह बिल संविदाकार से वसूली योग्य राशि 3,23,754.00रु. हेतु पारित किया गया, जिसका विवरण निम्न दिया जाता है ।

§1§ 14 वें चलत बिल अनुसार अधिक भुगतान की गई राशि	§-§	5162.00
§2§ कार्य स्थल पर प्राप्त सामान की कीमत		52439.81
§3§ निर्माण कार्य पर उपयोग हुए सामान की कीमत	§-§	88501.00
§4§ संविदाकार को उपयोग से अधिक जारी किए गए सामान की कीमत	§-§	78712.00
§5§ सुरक्षित अग्रिम की शेष राशि	§-§	203819.00
		3,23,754.19रु.

लगा.पृ. 11 पर...

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद लोकर अण्डर फ्लोर रैम्पिंग एण्ड ...... कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

यह निर्माण कार्य अधीक्षण अभियन्ता, आवास बोर्ड के पत्र संख्या: एच.बी-15-16/84-टैक-खण्ड-4 दिनांक 10.12.91 द्वारा रिसाईन्ड किया गया था । परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अन्तिम बिल अत्यन्त देरी से समायोजन वाउचर संख्या 4 माह 6/97 द्वारा संविदाकार से वसूली योग्य राशि मु0 3,23,754.00रूपये हेतु पारित किया गया । इस निर्माण कार्य को कार्य रिसाईन्ड होने की तिथि से लेकर अन्तिम बिल पारित किए जाने की तिथि तक उक्त राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, न ही संविदाकार से कोई पत्राचार किया गया । अन्तिम बिल के पारित करने के बाद भी संविदाकार से उक्त राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई । परिणामस्वरूप उपरोक्त राशि अभी तक भी संविदाकार से वसूली हेतु लम्बित पड़ी थी । इस अन्तिम बिल को अत्यधिक देरी से भुगतान हेतु पारित करने एवम् राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करने बारे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व उत्तरदायित्व निर्धारित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए । इसके अतिरिक्त उक्त राशि की तुरन्त वसूली करके शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाए जाने के अतिरिक्त अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए ।

(ख) अधिशाषी अभियन्ता के पत्र संख्या: एच.बी.-15-16/84-टैक-खण्ड-4 दिनांक 10.12.91 द्वारा निर्माण कार्य रिसाईन्ड होने पर संविदाकार को अनुबन्ध की क्लाज 2 के अन्तर्गत मु0 3,53,490.00रूपये का मुआवजा डाला गया था । परन्तु सात साल की अवधि व्यतीत होने पर भी इस सन्दर्भ में संविदाकार के खाते में कोई भी राशि डैबिट नहीं की गई और न ही वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही की गई थी । सात साल की अवधि व्यतीत होने पर भी संविदाकार से मुआवजे के रूप में मु0 3,53,490.00 रूपये की राशि उसके खाते में डैबिट न करने व वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही न करने ~~व वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही~~ बारे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व उत्तरदायित्व निर्धारित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए । इसके अतिरिक्त मुआवजे की राशि को संविदाकार के अन्तिम बिल को पारित करते समय कुल वसूली योग्य राशि में न जोड़ने बारे कारणों से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(ग) इसके अतिरिक्त अनुबन्ध की क्लाज 3(ए) के अन्तर्गत संविदाकार से उक्त निर्माण के विरूद्व काटी गई प्रतिभूति राशि 67,670/=रूपये को भी अधिशाषी अभियन्ता के उपरोक्त पत्र द्वारा जब्त किए जाने हेतु आदेश दिए गए परन्तु मण्डल द्वारा उक्त प्रतिभूति की काटी गई राशि को आवास बोर्ड की आय में हस्तांतरित किए जाने से सम्बन्धित कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । संविदाकार के प्रतिभूति लेखे के अवलोकन करने पर पायागया कि यह 9/98 के लेखों अनुसार उसके खाते में केवल 16,975.00रूपये की राशि ही नगद शेष थी । बाकी राशि के बारे अंकेक्षण में यह बताया गया कि संविदाकार द्वारा मियादी जमा के रूप में अधिशाषी अभियन्ता के नाम गिरवी करके रखी थी, परन्तु जांच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के विरूद्व पृथक से कोई भी एफ0डी0 अभिलेख में उपलब्ध

लगातार पृष्ठ 12 पर...

4/4 फिलिंग इन प्लींथ बीद बोल्डर अण्डर फ्लोर रैमिंग एण्ड ~~[illegible]~~ कन्सोलिडेटिंग कम्प्लीट" के बनाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

नहीं थी । उक्त संविदाकार द्वारा और भी निर्माण कार्य निष्पादित किए थे तथा उनके विरूद्ध भी प्रतिभूति की राशियां मियादी जमा के रूप में प्राप्त की गई थाईं थी । अतः कोई स्पष्ट अभिलेख त्यार न करने के कारण यह विदित नहीं हो सका कि किए निर्माण कार्य के विरूद्ध प्रतिभूति की कितनी राशि मियादी जमा के रूप में शेष पड़ी थी । उक्त अभिलेख तुरन्त त्यार करके तथा प्रतिभूति की राशि को जब्त करने हेतु उच्चाधिकारियों के आदेशों अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाए ।

(घ) अंकेक्षण के दौरान देखा गया कि उपरोक्त संविदाकार द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में निम्न राशियां मियादी जमा के रूप में अधिशासी अभियन्ता के नाम गिरवी करके रखी थी परन्तु इन राशियों की परिपक्वता की तिथि कई वर्ष पहले ही पूर्ण हो जाने के बावजूद भी मियादी जमा की इन राशियों का न तो नवीनीकरण ही करवाया गया और न ही इन राशियों की प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही की गई यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यान में तुरन्त कार्यवाही हेतु लाई जाती है । इसके अतिरिक्त इसी प्रकार की अन्य पड़ी मियादी जमा राशियों के सन्दर्भ में भी अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए :-

एफ.डी.आर.नं. व दिनांक	राशि(रूपये)	बैंक का नाम
408722 दिनांक 11.5.91	10,000.00	यूको बैंक, धर्मशाला
324116 दिनांक 30.8.90	24,000.00	स्टेट बैंक आफ पटियाला-"
475584 दिनांक 19.8.91	44,000.00	बैंक आफ बड़ोदा अमृतसर
475585 दिनांक 19.8.91	44,000.00	बैंक आफ बड़ोदा अमृतसर

(ड.) आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 2,03,819.00 रूपये की हानि :-

अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित सम्बन्धित संविदाकार को तीसरे, चौथे, आठवें व नवें चलत बिलों द्वारा कुल मु0 3,13,334.00 रूपये का सुरक्षित अग्रिम संविदाकार को भुगतान किया गया था । उक्त राशि के विरूद्ध संविदाकार के आगामी चलत बिलों में से केवल 1,09,515.00 रूपये की ही वसूली की गई तथा शेष 2,03,819.00 रूपये की राशि गत गई वर्षों से वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया जाता है :-

बिल सं.	वस्तु का नाम	दिया गया सुरक्षित अग्रिम	वसूल की गई राशि(रु.)	सुरक्षित अग्रिम की वसूली योग्य शेष राशि(रु.)
तृतीय चलत बिल माह 1/90	सैफिंग ग्लास फेदार बुक	1,02,620.00		102620.00
---"---	सैफिंग ग्लास ग्रीक्स	1,07,100.00	92565.00	14535.00

लगातार पृष्ठ 13 पर....

4/4 फिलिंग इन प्लीथ वीद बोल्डर अण्डर फ्लोर रैमिंग एण्ड कन्सोलिडेटिंग कम्प्लीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

चतुर्थ चलत बिल माह 2/90	रोल्ड स्टील इक्वल ऐंगल	67800.00	16950.00	50850.00
आठवां चलत बिल माह 10/90	प्रेस्ड स्टील फ्रेम	16986/00	----	16986.00
नवां चलत बिल 2/91	प्लेन ए.सी.सी.सील्स 4 ×4 ×4एम.एम.	7500.00	-----	7500.00
---"----	ऐंकर बोर्ड	11328.00	----	11328.00
		313334.00	109515.00	203819.00

उपरोक्त विवरण से यह विदित होता है कि उपरोक्त सुरक्षित अग्रिमों का संविदाकार को भुगतान या तो बिना किसी तुरन्त आवश्यकता के ही कर दिया गया था अथवा उक्त सामान की निर्माण कार्य पर आवश्यकता आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि कई वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त अग्रिमों की वसूली संविदाकार के चलत बिलों में से नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त अग्रिम राशियों के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य स्थल पर लाया गया सामान निर्माण कार्य के प्रभारी अभियन्ता एवं संविदाकार दोनों की निगरानी में मौजूद है । अतः यदि किसी कारण वश संविदाकार पूर्ण निर्माण कार्य निपटाने में असफल रहता है तो उक्त सामान निर्माण कार्य ~~निपटाने में असफल र~~ प्रभारी अभियन्ता की निगरानी में होने के कारण तुरन्त जब्त करके आवास बोर्ड को होने वाली हानि के विरुद्ध ~~कि~~ समियोजित किया जाना अपेक्षित था । परन्तु इस निर्माण कार्य के 15 वें एवं अन्तिम बिल को पारित करते समय संविदाकार से 203819.00 रुपये की राशि सुरक्षित अग्रिम के रूप में वसूली हेतु लम्बित दर्शाई है जिससे विदित होता है कि सुरक्षित अग्रिमों का भुगतान करते समय संविदाकार द्वारा या तो कार्य स्थल पर सामान की प्राप्ति या फिर कार्यस्थल पर ~~कम~~ सामान की निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई जिसके कारण उक्त राशि अभी तक भी संविदाकार से वसूली हेतु शेष दर्शाई गई थी क्योंकि सुरक्षित अग्रिम भुगतान करते समय या तो सामान कार्य स्थल पर उपलब्ध नहीं ~~करवा~~ करवाया गया अथवा निर्माण कार्य बन्द करने के बाद उपलब्ध सामान संविदाकार द्वारा अन्यत्र इस्तेमाल कर लिया गया ।

अतः उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि आवास बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों की लापरवाही के कारण आवास बोर्ड को रु० 303819/=रुपये की हानि उठानी पड़ी । इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्यों की छानबीन करके तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के उपरान्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी से उक्त राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(घ) निर्माण कार्य बिल की जांच करने पर यह भी पाया गया कि अनेक मदों की कार्य मात्रा 14वे चलत बिल में अत्यधिक 2.018 गई थी जिसे 15वे व अन्तिम बिल को पारित करते [illegible] कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नवर्णित है

लगातार पृ० 14 पर....

4/4 फिलिंग इन प्लीथ वीद वोल्कर अण्डर फ्लोर रैम्मिंग एण्ड [illegible] कन्सोलिडेटिंग कम्प्लीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

मद सं.	मद का नाम	14 वें चलत बिल तक करवाये गए कार्य का माप	15 वें अन्तिम बिल में दर्शाया गया माप	तक . .या गया मा.
10/14	ब्रिक्स वाल इन फ्लाई ऐश मेसनरी 1:4	358-44 वर्ग मीटर	301-96 वर्गमीटर	56-48वर्ग मीटर
13/46	स्टील वर्क वैल्डिड इन बिल्ट अप सेक्सन ट्रसिज एण्ड फ्रेम्स परलीन	19-79 क्विंटल	10-49क्विंटल	9-30 क्विंटल
14/47	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग प्रेस्ड स्टील डोर फ्रेम्स प्रोफाइल"ए"	431-14मी0	330-40मीटर	100-74मीटर
1/3	प्रोवाईडिंग फोम वर्क (ए) फ्लैट सरफेस	763-51 वर्ग मी.	640-80 वर्ग मी.	122-71 वर्ग मी.
	(सी) इन स्टेयर केस	163-99 वर्ग मी.	147-01 वर्ग मी.	16-98 वर्ग मी.

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि किए गए कार्य का माप लेते समय कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा लापरवाही बरती गई है जिस कारण संविदाकार को अत्याधिक मात्रा में राशियों का अधिक भुगतान किया गया । इस अनियमितता के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गई राशियों की विभागीय तौर पर गणना करके दोषी से शीघ्र वसूली की जाए तथा अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए ।

7. वाउचर सं. 56 दिनांक 9.6.97 राशि 162246.00रूपये
अनुबन्ध सं0:- 7 वर्ष 1996-97
माप पुस्तिका सं0:- 880 पृष्ठ 7 से 19
संविदाकार का नाम :- श्री डी.डी.जैन
कार्य का नाम :- 18 नं. टी-2 क्वाटर्स सिद्धपुर
बिल सं0 :- 5 वां चलत बिल ।

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 5/8(ए) "प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी.सी. 1:2:4 इन फाउंडेशन फूटिंग बेसिस आफ कालम" के करवाए गए 70.413 घनमीटर कार्य हेतु 1500.00रूपये प्रति घनमीटर की दर से 105619.50 रूपये का भुगतान किया गया । इस कार्य की माप पुस्तिका सं0 822 के पृष्ठ 4,29,व 58 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर पाया गया कि कालमों के टेपर्ड भाग में किए गए 1:2:4 सिमेंट कंक्रीट के निर्माण कार्य के माप की गणना करने हेतु निर्धारित सूत्र ऊंचाई/3 $(ए_1+ए_2+\sqrt{ए_1 \times ए_2})$ का प्रयोग न करके किसी अन्य सूत्र का प्रयोग किया गया था इस अनियमितता के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार ठेकेदार को कार्य मात्र 8-30 घन मी0 हेतु 1500.00रूपये प्रति घनमीटर की दर से 12450.00रूपये का भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण

लगातार पृष्ठ 15 पर...

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद वोल्डर अण्डर फ्लोर रैम्पिंग एण्ड कन्सोलिडेटिंग कम्प्लीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

पर करवाया जाए ।

कालम का विवरण	कालम क्षेत्रफल वर्ग मी. में	टाप क्षेत्र वर्ग मी.	उंचाई मी. में	दत्त मात्रा घन मी.	देय मात्रा घन मी.	अधिक दत्त मात्रा घनमी. में
ए$_1$	2.40	0.16	0.25	0.32	0.26	0.06
ए$_2$ए$_5$सी$_2$सी$_5$	3.42	0.16	0.40	2.866	2.296	0.57
ए$_3$ए$_4$	3.75	0.16	0.40	1.464	1.254	0.21
बी$_1$	3.80	0.16	0.45	0.891	0.721	0.17
बी$_2$बी$_5$ए$_6$बी$_6$सी$_6$	4.41	0.16	0.50	5.712	4.512	1.20
बी$_3$बी$_4$	4.02	0.16	0.50	2.092	1.393	0.699
सी$_1$	2.56	0.16	0.30	0.408	0.338	0.07
सी$_3$सी$_4$	2.89	0.16	0.30	0.916	0.746	0.17
ए$_1$ए$_6$	2.40	0.16	0.25	0.640	0.52	0.12
ए$_2$ए$_5$सी$_2$सी$_5$	3.42	0.16	0.40	2.866	2.296	0.57
ए$_3$ए$_4$	3.50	0.16	0.40	1.464	1.254	0.21
बी$_1$बी$_6$	3.80	0.16	0.45	1.783	1.423	0.36
बी$_2$बी$_5$	4.41	0.16	0.50	2.285	1.795	0.49
बी$_3$बी$_4$	2.30	0.16	0.50	2.092	1.393	0.699
सी$_1$सी$_6$	2.56	0.16	0.30	0.768	0.672	0.096
सी$_3$सी$_4$	2.89	0.16	0.30	0.915	0.745	0.17
ए$_2$ए$_5$सी$_2$सी$_5$	3.70	0.16	0.40	2.866	2.296	0.57
ए$_3$ए$_4$	3.50	0.16	0.40	1.464	1.254	0.21
बी$_6$	3.80	0.16	0.45	0.891	0.721	0.17
बी$_2$बी$_5$	4.41	0.16	0.50	2.285	1.795	0.49
बी$_3$बी$_4$	4.02	0.16	0.50	2.092	1.393	0.699
सी$_6$	2.56	0.16	0.30	0.406	0.336	0.07
सी$_3$सी$_4$	2.69	0.16	0.30	0.916	0.746	0.17
ए$_6$	2.40	0.16	0.25	0.32	0.26	0.06
					योग	8.30

लगातार पृष्ठ 16 पर....

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद वोल्डर अण्डर फ्लोर रेमिंग एण्ड [illegible] कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

8. कार्य का नाम :- जे.एन.वी.सरोल स्कूल बिल्डिंग
अनुबन्ध संख्या:- 1 वर्ष 1997-98
माप पुस्तिका संख्या :- 852 पृष्ठ 33
संविदाकार का नाम :- मै टिम्बर ट्रेल
बिल संख्या :- 1 से 7 चलत बिल

==================================

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य का आंवटन निर्माण मण्डल द्वारा पत्र संख्या सी.डी./एच.पी डब्ल्यू-7/95-6226-32 दिनांक 29.3.97 द्वारा टिम्बर ट्रेल संविदाकार को कुल राशि 60,79,284.36रूपये के लिए किया गया । इस कार्य के प्रथम चलत बिल से लेकर सांतवें चलत बिल तक किए गए भुगतानों की जांच करने पर निम्न वर्णित आपत्तियां पाई गई :=

§क§ अनुबन्ध की मद संख्या 32§अतिरिक्त§"एपलाईंग स्टील वर्क वैल्डिड इन बिल्ट अप सैक्सन इन टीज, एंगल,फ्लैट्स पैनल" के करवाए गए 15-36 क्विंटल कार्य हेतु 1704-17§पार्ट दर§ की दर से 26176.05 रू. का भुगतान किया गया था । मण्डल द्वारा उक्त मद की अदायगी हेतु 2651.47 रूपये की दर निर्धारित की गई है जिसकी जांच करने पर पाया गया कि उक्त मद के दिल्ली मानक दर 1993 में वर्णित दर 2054.45 रू. पर परिशिष्ट "ए" के प्रिमीयम 129.06% को जोड़ कर 2651.47रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था । परन्तु अनुबन्ध की क्लाज संख्या 12§111§के अनुसार अनुबन्ध की समान मद संख्या 35 "प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग टी आयरन फ्रेम डोर विंडो आफ माईल्ड स्टील टी सैक्सन" हेतु संविदा द्वारा दिए गए दर पर प्रतिशत प्रिमीयम जोड़ कर दर का निर्धारण किया जाना अपेक्षित था जिसके अनुसार सही दर का निर्धारण §$\frac{24.75}{27.00}$×2054.45रू.§ = 1829.08 रूपये प्रति क्विंटल ही बनता है । अतः उक्त मद के सांतवें चलत बिल तक करवाए गए 15.36 क्विंटल कार्य हेतु 822.39 रूपये §2651.47-1829.08§ प्रति क्विंटल की दर से 12631.91 रूपये अधिक के अधिक भुगतान किए जाने की सम्भावना है । संविदाकार द्वारा उक्त मद के किए गए कार्य हेतु, सही दर अनुसार जोकि 1829.08 रूपये प्रति क्विंटल ही बनती है से ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

§ख§ अनुबन्ध की मद संख्या 8§11§ "रिईन्फोरसमैंट सिमेंट कंक्रीट वर्क इन ससपैंडिड फ्लोर रूफ 1:2:4 अप टु फ्लोर लैवल 3" के करवाए गए 9-19 घन मीटर के कार्य हेतु 2300.00रूपये पार्ट दर §पूर्ण दर 2450.00रू.§ से 21137.00रूपये का भुगतान किया गया। उक्त मद की अनुबन्ध में वर्णित दर का जांच करने पर पाया गयाकि अनुबन्ध की इस मद के करवाए गए कार्य की अदायगी मण्डल के पत्र संख्या जी.जी/एच.बी/डब्ल्यू-7/97-6226-32 दिनांक 29.3.97 अनुसार 2050.00रूपये प्रति घन मीटर की दर से की जानी अपेक्षित थी । अतः संविदाकार को 1वें चलत बिल तक उक्त मद के करवाए गए 9-19 घन मीटर कार्य हेतु 400.00रू. §2450-2050§ प्रति घन मीटर की दर से 3676.00रूपये की राशि अधिक भुगतान की गई है । इस राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा दोषी से

लगातार पृष्ठ18 पर ...

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद बोल्डर अण्डर फ्लोर रैम्मिंग एण्ड ~~कन्सो~~ कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

से शीघ्र की जाए व भविष्य में सही दर से ही उक्त मद का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) छठे चालू बिल में अनुबन्ध की मद संख्या 17 "प्रोवाइडिंग टॉर स्टील रीइनफोरसमेंट आर.सी.सी. वर्क" हेतु 33039.37 कि0 ग्रा0 मात्रा का 20.00रुपये प्रति कि0 ग्रा0 की दर से 6,60,787.40 रुपये का भुगतान संविदाकार को किया गया । उक्त मद से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 911 व 859 के पृष्ठ क्रमशः 10 व 71 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि 8 एम.एम. स्टील की मात्रा को 10 एम.एम. स्टील में गणना करने पर तथा माप पुस्तिका संख्या 859 के पृष्ठ 71 पर 20 एम.एम. स्टील के योग गलत लगाए जाने के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार 71.90 कि.ग्रा. स्टील की अधिक गणना की गई गई है । इस अनियमितता के कारण संविदाकार को 1438.00रुपये का अधिक अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

पृ0 सं0	स्टील का साईज	लिया गया भार	भार जो बनता है ।	अधिक लिया गया भार
911	8 एम.एम.	133.60	235.35	(-) 101.75
911	10 एम.एम.	341.49	181.78	159.71
859	20 एम.एम.	632.00	618.06	13.94
		1107.09	1035.19	योग :- 71.90कि.ग्रा.

(घ) अनुबन्ध की मद संख्या 12/14 "सैन्टरिंग एण्ड सटरिंग लिंटल बीम, प्लींथ बीम" के करवाए गए 749.13 वर्ग मी. हेतु 100.00रु. की दर से 74913.00रुपये का भुगतान संविदाकार को किया गया । उक्त वर्णित मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 911 के पृष्ठ 60 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा 177.39 वर्ग मीटर भी सम्मिलित थी । इस मात्रा की गणना की जांच करने पर पाया गया कि सही गणनानुसार यह मात्रा 174.90 वर्ग मीटर ही बनती थी क्योंकि पृष्ठ 32 पर उक्त मद में बाटम फार डोर डी$_2$ की गणना 4×1.00×0.23 = 3.41 वर्ग मी. ली गई जबकि यह वास्तव में 0.92 वर्ग मी. ही बनती थी । अतः 2.49 वर्ग मीटर के अधिक दर्शाए गए माप हेतु 100.00रुपये की दर से 249.00रुपये के अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

(ड.) अनुबन्ध की मद संख्या 11/19 "ब्रीक वर्क इन फाउंडेशन एण्ड प्लींथ सी.सी. 1:6" के करवाए गए 11.77 घन मी. कार्य हेतु 1650.00रु. प्रति घन मी. की दर से 19420.50रुपये का भुगतान किया गया । उक्त मद की माप पुस्तिका संख्या 864 पृष्ठ 43 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा 8.94 घन मी. भी सम्मिलित थी जिसकी जांच करने पर पाया गया कि एन्ट्रेंस स्टेयर प्रथम से तृतीय स्टेप की गणना 2.45 घन मीटर ली गई है जबकि सही गणनानुसार उक्त मात्रा 1.18 घन मीटर ही बनती है थी । द्वितीय व तृतीय स्टेप की लम्बाई 6.42 मीटर के स्थान पर

लगातार पृष्ठ 18 पर...

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद वोल्टर अण्डर फ्लोर रेमिंग एण्ड कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

6.67 मीटर दर्शाकर तथा प्रथम स्टेप की उंचाई 0.15 मीटर के स्थान पर 0.15 मीटर लेकर निम्न विवरणानुसार गणना की गई है । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि यह रिकार्ड प्रविष्टियां सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी । अत: कुल 1.27 घन मीटर की अधिक दर्शाई गई मात्रा का 1650.00रूपये प्रति घन मीटर की दर से 2095.50रू. के अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापित करवाई जाए ।

ली गई गणना	गणना जो बनती है	अधिक ली गई गणना
6.42×0.54×0.51 =1.76	6.42×0.54×0.15=0.52	
6.67×0.46×0.15=0.46	6.42×0.46×0.15=0.44	
6.67×0.23×0.15=0.23	6.42×0.23×0.15=0.22	
2.45	1.18	1.27घन मी.

9. वाउचर संख्या 65 दिनांक 19.3.98 राशि 13,29,314.00रूपये
अनुबन्ध संख्या :- 3 वर्ष 1997-98
माप पुस्तिका संख्या:- 857 पृष्ठ 46 से 77
बिल संख्या : चौथा चालू बिल
कार्य का नाम :- जे.एन.वी.सटोल चम्बा कन्सट्रक्शंज आफ 3 नं. डोरमैटरीब 8 नं. स्टाफ रैजीडैन्स ग्रुप-ए।

संविदाकार का नाम :- मै0 टिम्बर ट्रेल ।

§क§ उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 43 § §अतिरिक्त§ "ब्रीक वर्क विद ब्रीक आफ क्लास डैजिग्नेटिड 1:6" के करवाए गए 47.95 घन मी. कार्य भुगतान हेतु 1642.71 रूपये प्रतिघन मीटर की दर से 78767.94 रूपये का भुगतान संविदाकार को कियागया । माप पुस्तिका संख्या 933 के पृष्ठ 4,7 व 26 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर पाया गया कि किए गए कार्य की मात्रा 30.15 घन0 मीट0 के स्थान पर 30.07 तथा माप पुस्तिका संख्या 857 के पृष्ठ 71 पर कार्य की मात्रा का योग 47.95 घन मीटर के स्थान पर 43.92 घन मीटर ही बनता था । अत: उक्त मद की कुल मात्रा 4-11 घन मीटर § §30.15-30.07§=0.08+§47.95-43.92§=4.03 § अधिक दर्शाकर संविदाकार को 1642.71 रूपये प्रति घन मीटर की दर से 6751.53 रूपये का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली संविदाकार से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

§ख§ अनुबन्ध की मद संख्या 16/3§ "रीईनफारसमेंट फार आर.सी.सी. वर्क माईल्ड स्टील के करवाए गए 16583.61 कि0ग्रा0 कार्य हेतु 20.00 रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 3,31,672.20 रूपये का भुगतान संविदाकार को किया गया । सम्बन्धित मद की रिकार्ड प्रविष्टियों कीगणना की जांच करने पर पाया गया कि कुल 198.09 कि.ग्रा. स्टील जिसका विवरण निम्न दिया जाता है, का प्रयोग गलत गणना किए जाने के परिणामस्वरूप अधिक

लगातार. पृष्ठ 19 पर..

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद बोल्डर अन्डर फ्लोर रैम्मिंग एण्ड कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

दर्शाया गया है । 8 एम.एम. हाया स्टील की गणना 20 एम.एम. हाया स्टील में की गई तथा 20 एम.एम. हाया स्टील को रैनिंग मीटर से कि0 ग्रा0 में परिवर्तित करते समय 2.45 के स्थान पर 2.47 कि.ग्रा.प्रतिरैनिंग मीटर का फैक्टर लगाया गया । अतः 198.09 कि.ग्रा..की अधिक दर्शाई गई मात्रा हेतु 20.00रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 3961.80 रुपये की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

माप पुस्तिका सं. व पृ0 सं.	स्टील का साईज	लिया गया भार	भार जो बनता है	अधिक लिया गया भार कि.ग्रा.
867/55	20एम.एम.	20.98	20.86	0.12
867/64	8 एम.एम.	252.25	287.44	(-) 35.19
867/64	20 एम.एम.	1232.58	1004.30	228.28
867/81	20 एम.एम.	278.81	276.56	2.25
932/3	20 एम.एम.	205.01	203.35	1.66
932/7	20 एम.एम.	119.30	118.33	0.97
	कुल	2108.93	1910.84	198.09

(ग) अनुबन्ध की मद संख्या 27/57 "12 एम.एम. सिमेन्ट प्लास्टर आफ 1:6 " के करवाए गए 2000.97 वर्ग मी0 कार्य हेतु 55.00 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर (पार्ट दर) से 110053.35 रुपये का भुगतान संविदाकार को किया गया । उक्त मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 732 के पृष्ठ 30 में दर्शाई गई रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा 1485.80 वर्ग मी. भी सम्मिलित थी । उक्त रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 906 के पृष्ठ 15 पर सही गणनानुसार मात्रा 751.17 वर्ग मी. के स्थान पर केवल744.21 वर्ग मी. ही बनती थी । इसके अतिरिक्त पृष्ठ 18 पर मात्रा की गणना 310.11 वर्ग मीटर ली गई जबकि यह मात्रा 293.77 वर्गमी. ही बनती थी । अतः उक्त मद की 23.30 वर्गमीटर (6.96+16.34) की अधिक दर्शाई गई मात्रा हेतु 58.00रुपये की दर से 1351.40 रुपये की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

(घ) अनुबन्ध मद संख्या 17 " आर.सी.सी.वर्क इन वर्टीकल हॉरीजेंटल फिनस" 1:2:4 के करवाए गए 6.72 घन मीटर कार्य हेतु 4700.00रुपये (पार्ट दर) (पूर्ण दर 5000/=रुपये) की दर से 31584.00 रुपये का भुगतान किया गया । माप पुस्तिका संख्या 933 के पृष्ठ 71 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर पाया गया कि कार्य की मात्रा का योग 6.51 घन मी. ही बनता है जबकि यह 6.72 घन मी. दर्शाया गया है । इस प्रकार 0.21 घन मीटर के अधिक लिये गए माप हेतु 5000.00रुपये की दर से 1050.00रुपये की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से

लगातार पृष्ठ 20 पर....

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद वोल्डर अन्डर फ्लोर रैम्मिंग एण्ड ~~ग्राउटिंग~~ कन्सोलिडेटिंग कम्प्लीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

﴾ह.﴿ अनुबन्ध की मद संख्या 31/72 स्टील वर्क इन विल्ट अप ट्यूबलर ट्रसिज" के करवाए गए कार्य 10494.12 कि.ग्रा. कार्य हेतु 24.50 रूपये﴾ पार्ट दर की दर से 2,57,105.94 रूपये का भुगतान संविदाकार को किया गया । माप पुस्तिका संख्या 933 के पृष्ठ 57 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना करने पर पाया गया कि सही मात्रा 6106.52 कि.ग्रा. ही बनती थी जबकि यह मात्रा 6116.70कि.ग्रा. दर्शाई थी । क्योंकि माप पुस्तिका संख्या 933 पृष्ठ 53 व 55 पर 32 एम.एम. ट्यूबलर पाईप ﴾लाईट﴿ क्रमश: 9.10 मीटर व 9.10मीटर कुल 18.20 मीटर को कि.ग्रा. में परिवर्तित करते समय 3.17 कि.ग्रा. प्रति रनिंग मीटर का फैक्टर लगाया गया है जबकि 2.61 कि.ग्रा. प्रति रैनिंग मीटर के फैक्टर से गणना की जानी आपेक्षित थी । इस प्रकार 10.18 कि.ग्रा. अधिक दर्शाई गई कार्य मात्रा हेतु 25.00रूपये प्रति कि.ग्रा की दर से अधिक भुगतान की गई 254.50रूपये की वसूली संविदाकार सेकरके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

10. वाउचर संख्या 109 दिनांक 15.6.97 राशि 70546.00रूपये
अनुबन्ध संख्या 8 वर्ष 1997-98 माप पुस्तिका सं0 813 पृष्ठ 95 .
कार्य का नाम :- स्वत: वित्तपोषित योजना विंद्रावन
कन्सट्रक्सन आफ सैपटीक टैंक ।

बिल सं. :- प्रथम चलत बिल
संविदाकार का नाम :- श्री डी.डी.जैन ।

उपरोक्त वर्णित चलत विल की जांच करने पर पाया गया कि विल के साथ संलग्न टॉर स्टील की विवरणी में स्टोर से 16 एम.एम. डाया की कोई भी स्टील जारी नहीं की गई थी जबकि उक्त विल में इस निर्माण कार्य पर 16 एम.एम. डाया स्टील का प्रयोग 50.56 कि.ग्रा. दर्शा कर संविदाकार को भी 19.00रूपये की दर से 960.64 रूपये का भुगतान किया गया है । अत: निर्माण कार्य को उक्त डाया की स्टील जारी न होने के कारण 16 एम.एम. डाया की मात्रा 50.56 कि.ग्रा. की माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियां संदिग्ध प्रतीत होती है । अत: उपरोक्त वर्णनानुसार 16 एम.एम. डाया की 50.56 कि.ग्रा. स्टील की आवास बोर्ड के भण्डार से प्राप्ति किए विना ही माप पुस्तिका में रिकार्ड प्रविष्टियां किए जाने व 19.00रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 960.64 रूपये का भुगतान करने से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है । निर्माण कार्य की उक्त मद हेतु 16 एम.एम. डाया की स्टील किस स्त्रोत से प्राप्त की गई थी, के सम्बन्ध में समस्त अभिलेख सहित पुष्टि आगामी अंकेक्षण के समय करवाई जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए ।

लगातार पृष्ठ 21 पर.....

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद वोल्डर अण्डर फ्लोर रैम्मिंग एण्ड कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

11. वाउचर संख्या 75 दिनांक 12.6.97 राशि 8732.00रूपये
वर्क आर्डर संख्या :- 13 वर्ष 97-98
माप पुस्तिका संख्या :- 874 पृष्ठ 7 व 8
कार्य का नाम :- सैल्फ फाईनैंस स्कीम विन्द्रावन/कन्सट्रक्सन आफ रोड ।
संविदाकार का नाम :- श्री जरासन्द शर्मा ।

(क) उपरोक्त वर्णित कार्य आदेशों की मद संख्या 1 "सोलिंग कोट ब्रोकन कोर्सड स्टोन एग्रीगेट 63-40 साईज" के लेवर रेट पर करवाए गए 158.77 धन मी. कार्य हेतु 55.00रूपये प्रति धन मीटर की दर से 8732.35 रूपये का भुगतान संविदाकार को किया गया । उक्त कार्य मात्रा को रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर पाया गया कि रोड नं0 3 में करवाई गए सोलिंग की मात्रा 24×3.35×0.15 = 12.06 धन मीटर ली गई जबकि सही गणनानुसार यह मात्रा 8×3.35×0.15=4.02 धन मी. ही बनती थी क्योंकि रोड नं. 3 की लम्बाई आर.डी. 0/016 से 0/024 मी. तक दूरी केवल 8 कि. मी. ही गणना में ली जानी थी जबकि उक्त गणना 24 मी. लम्बाई के आधार पर की गई थी । अतः 8.04 धन मी. के अधिक लिए गए माप हेतु 55.00रूपये प्रति धन मी. की दर से 442.20 रूपये का अधिक भुगतान किया गया है जिस की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

(ख) इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित कार्य में 174.13 धन मी. स्टोन ब्लास्ट साईज 90-40 व 63-40 का प्रयोग एम.ए.एस. रजिस्टर अनुसार किया गया दर्शाया गया । जबकि करवाए गए कार्य की मात्रा अनुसार केवल 150.73 धन मी. मात्रा ही एम.एएस.से जारी की जानी अपेक्षित थी । प्रथमत पैरा संख्या 11(क) में किए गए विवरणानुसार 8.04 धन मी. के अधिक लिए गए माप हेतु तथा इसके उपरान्त रोड नं. 11 व 12 में करवाए गए कार्य की मात्रा माप पुस्तिका के पृष्ठ 7 पर 15.36 धन मी. दर्शाई गई है जबकि यह मात्रा इस बिल तथा कार्य से सम्बन्धित न होने के कारण उक्त मात्रा में नहीं जोड़ी जानी थी क्योंकि इस मात्रा की माप पुस्तिका संख्या 850 के पृष्ठ 24 पर पृथक से रिकार्ड प्रविष्टि करके अलग वर्क आर्डर द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया था व तदानुसार ही एम.ए.एस. रजिस्टर में पृथक से यह मात्रा उपयोग की दर्शाई गई थी । इस प्रकार कुल 23.40धन मीटर (8.04+15.36) स्टोन ब्लास्ट साईज 63-40 का प्रयोग असल में किए गए कार्य से अधिक दर्शाया गया था । अतः कुल 23.40 धन मी. स्टोन ब्लास्ट की 200.00 रूपये प्रति धन मी. की दर से कुल राशि 4680.00रूपये की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाए ।

लगातार पृष्ठ 22 पर....

4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद वोल्डर अण्डर फ्लोर रैमिंग एण्ड ~~[illegible]~~ कन्सोलिडेटिंग कम्प्लीट" के करवाए गए 147.49 धन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

(ग) इसके अतिरिक्त वाउचर संख्या 125 दिनांक 26.6.97 के द्वारा कार्य आदेश संख्या 85 वर्ष 1996-97 अनुसार "वीयरिंग कोट विद ब्रोकन स्टोन या क्रश स्टोन एग्रीगेट इन्क्लूडिंग सोरलिंग एण्ड स्प्रैडिंग" के करवाए गए 146.82 घन मी. माप हेतु 60.00रुपये लेवर रेट की दर से 8809.20 रुपये का भुगतान किया गया । उपरोक्त माप से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि रोड़ नं. 11 की लम्बाई 18 मीटर व रोड़ 12 की लम्बाई 30 मी. में करवाए गए कार्य के माप 16.26 घन मी. दर्शाकर भुगतान उक्त वर्णित वाउचर के द्वारा कर दिया गया । परन्तु उक्त कार्य के द्वितीय चलत बिल की जाँच करने पर पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 874 के पृष्ठ 13 में भी रोड़ नं. 11 व 12 की लम्बाई क्रमशः 18 व 30 मीटर लम्बी दर्शाकर माप की गणना 15-36 घन मी. पुनः दर्शाकर भुगतान दूसरी बार द्वितीय बिल में भी कर दिया गया । अतः उपरोक्त वर्णनानुसार उक्त कार्य की मात्रा 15-36 घन मी. का 60/=रुपये प्रति घन मी. की दर से राशि 921.60 रुपये का भुगतान संविदाकार को दो बार कर दिया गया । इस अनियमितता हेतु दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त इस राशि की दोषी से शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए ।

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त एम.ए.एस. रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 17 अनुसार स्टोन वलास्ट की 15.36 घन मी. मात्रा अधिक उपयोग दर्शाये जाने के कारण उक्त मात्रा की 200/=रुपये प्रति घन मी. की दर से कुल राशि 3072/=रुपये की दोषी से शीघ्र वसूली की जाए ।

12. वाउचर सं0 89 दिनांक 18.6.97 राशि 2,67,789.00रुपये
अनुबन्ध संख्या 5 वर्ष 1996-97
बिल सं0 :- पाँचवा चलत बिल
माप पुस्तिका संख्याः 816 पृष्ठ 67
संविदाकार का नामः- मै. जे. एस कन्सट्रक्शन
कार्य का नाम :- जे.एन.वी. किचन व डायनिंग(पपरोला)

(क) उक्त वोचर द्वारा छटे चलत बिल में अनुबन्ध की मद सं संख्या 6/9 आर.सी.सी.वर्क इन राफ्टस फूटिंग बेस आफ कालम के करवाए गए कार्य 7-43 घन मी. के माप हेतु 1400.00रुपये की दर से 10402.00 रुपये का भुगतान कियागया । उपरोक्त मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 816 के पृष्ठ 70 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित फार्म वर्क के आधार पर माप 0.59 घन मी. के स्थान पर 0.48 घन मी. ही बनता था । अतः 0.11 घन मीटर के अधिक लिए गए माप हेतु 1400.00रुपये प्रतिघन मी. की दर से 154.00 रुपये की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

(ग) उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुबन्ध की मद सं. 4/4 फिलिंग इन प्लींथ वीद वोल्डर अण्डर फ्लोर रैमिंग एण्ड ~~कम्पेक्ट~~ कन्सोलिडेटिंग कम्पलीट" के करवाए गए 147.49 घन मी. कार्य हेतु

लगातार पृष्ठ 23 पर....

200.00रूपये प्रति घन मी. की दर से 29498.00रूपये का भुगतान किया गया । उपरोक्त वर्णित कार्य की मात्रा में माप पुस्तिका संख्या 732 पृष्ठ 76 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की मात्रा 56.10 घन मी. भी सम्मिलित थी । इस कार्य मात्रा की गणना की जांच करने पर पाया गया कि 56.10 घन मी. की मात्रा उपरोक्त वर्णित कार्य मद से सम्बन्धित न होकर यह कार्य 22.00 मी. लम्बी रिटेनिंग वाल के पीछे 0.60 मी. चौड़ी बोल्डर फिलिंग से सम्बन्धित था जिसका भुगतान अनुबन्ध की मद संख्या 4 फिलिंग इन प्लींथ वीद बोल्डर अण्डर फ्लोर रैम्मिंग " हेतु संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर से किया गया था । अनुबन्ध में उपरोक्त करवाए "बोल्डर फिलिंग बिहाईंड रिटेनिगं वाल" के कार्य को अनुमान व डी.एन.आई.टी में सम्मिलित न किए जाने से ऐसा संशय उत्पन्न होता है कि यह कार्य करवाया जाना ही वांछित नहीं था । उक्त कार्य को करवाए जाने बारे सक्षम प्राधिकारी के आदेश/स्वीकृति भी अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई । अतः रिटेनिंग वाल के पीछे बोल्डर फिलिंग का 56.10घनमी. कार्य अनियमित रूप से करवाए जाने तथा इस कार्य हेतु 200.00रूपये घन. मी. की दर से कुल 11220.00रूपये का भुगतान संविदाकार द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 4 हेतु प्रस्तुत दर से करना अनियमित एवं अनुचित था । यदि यह कार्य वास्तव में ही करवाया गया था तो कार्य की यह अतिरिक्त मद होने के कारण इस मद का दर निर्धारण अनुबन्ध की क्लॉज संख्या 12 के अनुसार करके किया जाना वांछित था । इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करके अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली,यदि कोई हो, दोषी से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवायाजाए ।

13. वाउचर संख्या: 12 दिनांक4.6.97 राशि 1,37,481.00रूपये
अनुबन्ध संख्या : 13 वर्ष 93-94
कार्य का नाम :- जे.एन.वी.सरोल,
3 नं. डोरमेटरी इन्क्लूडिंग डब्ल्यू.एस.एस.ग्रुप-।
माप पुस्तिका सं0:- 769 पृष्ठ 8 से 40
संविदाकार का नाम :- श्री एस.पी.टल
बिल संख्या: 12वां चलत बिल

(क) उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा मद संख्या: 1/1 (111) (प्रतिस्थापित) "अर्थ वर्क इन एक्स. का वेशन इन फांउडेशन ट्रेन्चिज इन हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटिड" के 439.73 घन मी. के करवाए गए कार्य हेतु 148.40 रूपये प्रति घन मीटर की दर से 65255.94 रूपये का भुगतान

लगातार पृष्ठ 24 पर....

कियागया । उक्त मद का दर निर्धारण अनुबन्ध के समान मद के आधार पर निम्न विवरणानुसार केवल 98-44 रुपये प्रतिघन मी. बनता था जबकि दिल्ली मानके दर अनुसूचि के मूल पर निर्माण कार्य के ओवर आल प्रिमियम 107.45% अधिक जोड़ कर 148.40 रुपये प्रति घन मी. की दर से भुगतान किया गया था । अतः 439.73 घन मी. के करवाए गए कार्य हेतु 49.96 रु. (148.40-98.44) प्रतिघन मी. की दर से कुल 21968.91 रुपये का अधिक भुगतान किया गयाहै ।

मण्डल द्वारा निर्धारित दर	दर जो निर्धारित की जानी थी
$\frac{71-55}{100} \times 207.45 = 148.40$ रु.	$\frac{35.00+32.00 \times 71.55}{11.30+32.40} = 98.44$ रु.

उक्त अतिरिक्त मद का दर निर्धारण नियमानुसार न करके तथा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को 21,968.91 रुपये का आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है । इस अनियमितता हेतु दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त इस राशि की तुरन्त वसूली की जाए ।

(ख) इसी प्रकार अनुबन्ध की मद सं 36 (अतिरिक्त) "अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन ओवर ऐरिया, (I)साफ्ट एण्ड लूज स्वायल, (II)हार्ड स्वायल(III) हार्ड राक ब्लास्टिंग प्रोहेबिटिड" के करवाए गए कार्य क्रमशः 168.42 घन मी., 362.31 घन मी. व 1676.92 घन मी. हेतु 17.11रु., 22.20रु. व 143.87रु. प्रति घन मी. की दर से 2881.67रु., 8043.28रु., व 2,41,258.48 रु. का भुगतान कियागया । उक्त मदों के दर निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर भी पाया गया कि इसी पैरा के भाग "क" में किए वर्णनानुसार/इन मदों की दरें भी अनुबन्ध की समान मदों के आधार पर निर्धारित न करके निर्माण कार्य लागत के ओवर आल प्रिमियम के आधार पर ही तय किए गए थे । अंकेक्षण में की गई गणना अनुसार समान मदों के ~~अनुसार~~ आधार पर उक्त मदों की दरों का निर्धारण क्रमशः 11.35, रुपये, 14.72रुपये, व 95.40 रुपये प्रतिघन मी. ही किया जाना अपेक्षित था अतः/अधिक निर्धारित की गई दरों के परिणाम ~~स्वरूप~~ स्वरूप निम्न विवरणानुसार संविदाकार को कुल 84960.47 रुपये की राशि का अधिक भुगतान किया जा चुका था । अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार/दोषी कर्मचारी/अधिकारी से करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाए ।

लगातार पृष्ठ 25 पर....

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा संविदाकार के द्वितीय एवं अन्तिम

मद सं.	करवाए गए कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	समान दर के आधार पर सही दर	अधिक भुगतान प्रति घन मी.	कुल अधिक भुगतान
36§ I§ §अतिरिक्त§	168.42	17.11	11.35	5.76	970.09
36§ II§ §अतिरिक्त§	362.31	22.20	14.72	7.48	2710.07
36§ III§ §अतिरिक्त§	1676.92	143.87	95.40	48.47	81280.31
				योग:-	84960.47रु.

§ग§ इसी निर्माण कार्य से सम्बन्धित सिमेन्ट प्राप्ति एवं उपयोग विवरणी की जाँच करने पर पायागया कि आवास बोर्ड के भण्डार में से उक्त निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु संविदाकार को कुल 6114 बोरियां सिमेन्ट दिनांक 22.8.95 तक जारी किया गया था । इस निर्माण कार्य पर अंतिम बिल पारित होने तक कुल 4939 बोरी सिमेन्ट का उपयोग हो चुका था तथा शेष 1175 बोरी सिमेन्ट संविदाकार के पास शेष पड़ी बताई गई । अधिशाषी अभियन्ता के पत्र संख्या डी.डी./एच.बी/ए.बी./निर्माण/2526 दिनांक 28.8.96 के अवलोकन पर पाया गया कि अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कार्यस्थल पर स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर सिमेन्ट शून्य पाया गया जबकि उक्त विवरणानुसार 1175 बैग सिमेन्ट पाए जाने वांछित थे । नियमानुसार कार्य स्थल पर 1175 बैग सिमेन्ट उपलब्ध न होने तथा इस प्रकार इन्हें दुरूपयोग किये जाने के कारण अनुबन्ध की क्लॉज 42§I§ §II§ के अनुसार संविदाकार से उक्त सिमेन्ट की वसूली जारी दर से दो गुणा दर पर की जानी अपेक्षित थी । इस सम्बन्ध में अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । इस सम्बन्ध में अनुबन्ध की धाराओं के अनुरूप शीघ्र उचित कार्यवाही करके अनुपालनासे इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14. वाउचर सं. 118 दिनांक 26.6.97 राशि 1,79,488.00रुपये
तथा वाउचर संख्या 124 दिनांक 31.3.98 राशि 71,499.00रुपये
अनुबन्ध संख्या:- 24 वर्ष 96-97
माप पुस्तिका संख्या :- 860 पृष्ठ 39 से 49
संविदाकार का नाम :- श्री रमेश कुमार
बिल संख्या:- प्रथम व पांचवा चलत बिल
कार्य का नाम :- जे.एन.वी. चपाट 12 नं. सिंगल रूम का निर्माण ।

§क§ उपरोक्त वर्णित वाउचर संख्या 118 द्वारा अनुबन्ध की

लगातार पृष्ठ 26 पर.....

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा संविदाकार के तृतीय एवं अन्तिम

मद संख्या 12/23 "ब्रीक वर्क वीद ब्रीक आफ सैकिड क्लास 1:6" के करवाए गए 41.49 घन मी. कार्य हेतु 1600.00रूपये(पार्ट दर) की दर से 66384.00रूपये का भुगतान किया गया । उक्त मद की रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर पाया गया कि मकान नं. 3 में लिटल लेवल तक दरवाजे की 2.14 मी. उचांई तक उक्त कार्य कियागयादर्शाया गया जबकि इस निर्माण कार्य की ड्राईंग अनुसार उक्त उंचाई केवल 2.10मी. ही बनती थी । इसी कार्य के कमरों नं. 1 व 2 की उंचाई दरवाजों तक 2.10 तक ही ली गई थी । इस प्रकार कुल 0.21 घन मी. के अधिक लिए गए माप हेतु 1700.00 रूपये की दर से संविदाकार को 357.00रूपये के अधिक किए गए भुगतान की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

(ख) इसके अतिरिक्त अनुबन्ध की मद संख्या 13/13" प्रोवाईडिंग स्टील ग्लेज्ड डोर विंडों एण्ड वेंटीलेटर आफ स्टैन्डर्ड रोल्ड स्टील सैक्शन ज्वायंट्स (1) विंडों साईड हंग विदाऊट ग्लास पैनल्स" के करवाए गए कार्य 38.88 वर्ग मी. हेतु 500.00रूपये(पार्ट दर) की दर से मु0 19440.00रूपये का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त इसी मद के भाग (ii) "विंडों साईड हंग विदाउट वायर मैश" के करवाए गए 38.88 वर्गमी. कार्य हेतु 500.00 रूपये (पार्ट दर) की दर से 19440.00रूपये का भुगतान भी किया गया । उपरोक्त भुगतानों की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध अनुसार "विंडों साईड हंग विद ग्लास पैनल्स कम्पलीट" का ही कार्य अनुबन्ध अनुसार करवाया जाना था जिसमें खिड़की की फ्रेम भी सम्मिलित थी । उपरोक्त वर्णित मद के भाग(ii) के अन्तर्गत "विंडों साईड हंग वीद आऊट वायर गेज शटर" के करवाए गए कार्य का माप 38.88 वर्ग मी. दर्शाकर अनुबन्ध की इसी मद संख्या के भाग (1) अनुसार ही 500.00 रू0(पार्ट दर) की दर से अदायगी कर दी गई जबकि "विंडों साईड हंग विद वायर गेज शटर "से सम्बन्धित कार्य मद अनुबन्ध में ~~सम्म~~ सम्मिलित न होने के कारण इस मद से सम्बन्धित किए गए कार्य का भुगतान अतिरिक्त मद के रूप में दर निर्धारित करके किया जाना अपेक्षित था । इसके अतिरिक्त इस मद से सम्बन्धित किए गए माप की दोबारा जांच करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए ।

लगातार पृष्ठ 27 पर....

(ग) उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 29 (अतिरिक्त) "अर्थ वर्क इन फांउडेशन ओवर एरिया " (I) आर्डिनरी रॉक के करवाए गए 36-19 घन मी. व (II) हार्ड रॉक के करवाए गए 234.57 घन मी. कार्य हेतु क्रमश: 133.11 रुपये व 271.00 रुपये प्रति घनमी. की दर से 4817.25 व 63568.47 रुपये का भुगतान संविदाकार को किया गया । उपरोक्त भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया कि करवाए गए कार्य से प्राप्त पत्थरों की कोई भी मात्रा एम.ए.एस. रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई। माप पुस्तिका में यह प्रमाणित किया गया है कि उक्त कार्य स्थल से प्राप्त हुए पत्थरों को चिनिंग के पीछे केविटी पोरशन में भर दिया गया । उक्त दिया गया प्रमाण पत्र उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नियमानुसार कार्य स्थल से प्राप्त पत्थरों को एम.ए.एस. रजिस्टर में दर्ज किया तदोपरान्त इनके उपयोग से सम्बन्धित माप पुस्तिका में रिकार्ड प्रविष्टियाँ करके अथवा संविदाकार को निर्माण कार्य हेतु जारी करके किया जाना था । अत: कार्य स्थल से प्राप्त हुए पत्थरों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण इनके दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । यह मामला आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(घ) इसी प्रकार उप मण्डल चम्बा से सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों में भी करवाए गए हार्ड रॉक व आर्डिनरी रॉक की खुदाई/कटाई से कोई भी बोल्डर/ पत्थरों की मात्रा प्राप्त हुई नहीं दर्शाई गई है । अथवा करवाए गए कार्य की मात्रा से बहुत कम मात्रा में पत्थर प्राप्त किए गए दर्शाए है । हार्डरॉक व आर्डिनरी रॉक में करवाई गई खुदाई व कटाई में पत्थरों के प्राप्त न होने अथवा प्राप्त हुए पत्थरों को चिनिंग के साथ केविटी पोरशन में भर दिये जाने वाले पृथक-पृथक प्रमाण पत्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में किए गए हैं। यह एक गम्भीर अनियमितता है । अत्याधिक कटाई/खुदाई से प्राप्त पत्थरों को नियमानुसार स्टॉक में दर्ज करके इनके निपटारे के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

लगातार पृष्ठ 28 पर....

बिल सं.	अनुबन्ध सं.	मद सं.	मद का नाम	करवाए गए कार्य की मात्रा	एम.ए.एस. में पत्थरों की मात्रा
4 चलत बिल	13/97-98 जे.एन.वी सरोल हटल्यु एस.एस.	1/1	एक्स का वेसन टैंचिज फार पाईप		
			(ii) आर्डनरी रॉक	53.50 रनिंग मी.	24.27 घनमी.
			(iii) हार्डरॉक	187.30 रनिंग मी.	
	---"----- रोड एण्ड पाथ	4/5	अर्थ वर्क इन एक्स-कावेसन		
			(ii) आर्डनरीरॉक	21.65 घनमी०	
			(iii) हार्डरॉक	758 l. घनमी.	
4 चलत बिल	3/97/98 जे.एन.वी. सरोल 3 नं. होरमेटर। व 8नं. क्वाटर ग्रुप-।	42/ अतिरिक्त	अर्थवर्क इन एक्सकावेसन ओवर एरिया		
			(ii) आर्डनरी राक	88.07 घनमी.	
			(iii) हार्डरॉक (ब्लास्टिंग प्रोहैविटिड)	269.64 घनमी.	----
7वां चलत बिल	1/जे.एन.वीस -रोल स्कूल बिल्डिंग	1/1	एक्सकावेसन इन -फांडेशन टैंचिज आल काईंड आफ स्वायल	296.88	20.05
	परिशिष्ट"सी"	1/1	कटिंग इन अर्थवर्क इन आल काईंड आफ स्वायल	376.37	
				1370.97	44.32

15. वाउचर संख्या 12 दिनांक 5.3.98 राशि 76720.00
अनुबन्ध संख्या:- 25 वर्ष 1996-97
माप पुस्तिका संख्या :- 656 पृष्ठ 39
संविदाकार का नाम :- श्री रमेश कुमार
बिल संख्या:- तृतीय चलत बिल
कार्य का नाम :- जे.एन.वी.सरोल रोड एण्ड पाथ

उपरोक्त वर्णित, वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 1/1 परिशिष्ट"ए" व "बी" अर्थवर्क इन एक्सकावेसन ओवर एरिया व अर्थ वर्क इन एक्सकावेसन इन फांउडेशन टैंचिज हार्डरॉक (ब्लास्टिंग प्रोहिबिटिड) " के अन्तर्गत करवाए गए 549.21 घन मी. व 6.78 घन मी. के कार्य हेतु 206.00 रूपये प्रतिघन मीटर की दर से भुगतान किया गया। उपरोक्त वर्णित हार्ड रॉक में करवाए गए कुल 555.99 घन मी. के कार्य में से केवल 63.76 घन मी. पत्थर

लगातार पृष्ठ 29 पर...

ही एम.ए.एस. रजिस्टर अनुसार उक्त कार्यस्थल से प्राप्त हुए दर्शाए गए हैं । माप पुस्तिका में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिए गए पृथक-2 प्रमाण पत्रों में यह दर्शाया गया है कि कार्य स्थल से प्राप्त पत्थरों को ड्रिलिंग के आगे/पीछे कैविटी फोरशन में भर दिया गया था । परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिए गए उक्त प्रमाण पत्र उचित नहीं ठहराए जा सके सकते । क्योंकि नियमानुसार कार्य स्थल से प्राप्त पत्थरों को पहले एम.ए.एस. रजिस्टर में लेखाबद्ध करके तदोपरान्त ही इन पत्थरों का प्रयोग माप पुस्तिका में किए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियां करके अथवा संविदाकार को निर्माण कार्यों हेतु जारी करके दर्शाया जाना अपेक्षित था ।

इसके अतिरिक्त इसी अनुबन्ध की मद संख्या 3 व 5 के अन्तर्गत संविदाकार को 90 से 45 एम.एम. रोड़ी 105.82 धन मी. व 63-45 एम.एम. की रोड़ी 87.50 धन मी. की सप्लाई व स्टैकिंग करने हेतु 33862.00 रूपये व 36050.00 कुल भुगतान 69912.00 रूपये किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुबन्ध के परिशिष्ट "बी" की मद संख्या 3 कोर्सड रूबल मैसनरी विद हार्ड स्टोन" के करवाए गए 10.99 धन मी. कार्य हेतु 8242.50 रूपये का भुगतान भी किया गया है । उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि अत्याधिक मात्रा में खुदाई इत्यादि करने के कारण कार्य स्थल से प्राप्त पत्थरों को चनाई रोड़ी तथा भराई इत्यादि के प्रयोग में लाकर आवास बोर्ड को लाभ पहुंचाया जा सकता था । परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में भिन्न-2 प्रमाण पत्र दर्ज करना यह संशय उत्पन्न करता है कि कहीं इस सन्दर्भ में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई है। यह मामला आवश्यक छानबीन हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है । इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

(ख) अनुबन्ध की मद संख्या 2/3 व 3/5 क्रमश: सप्लाईंग एण्ड स्टैकिंग आफ ग्रेडिड स्टोन एग्रीगेट साईज 90 से 45 एम.एम. कुल 105.82 धन मी. व सप्लाई एवं स्टैकिंग आफ ग्रेडिड स्टोन एग्रीगेट साईज 63 से 45 एम.एम. कुल 87.50 धन मी. कार्य करवाया गया परन्तु एम.ए.एस. रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त रोड़ी को एम.ए.एस. रजिस्टर में लेखाबद्ध नहीं किया गया था । इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त रोड़ी की सप्लाई को एम.ए.एस. रजिस्टर में लेखाबद्ध नहीं किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व एम.ए.एस. रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करके रोड़ी के आगामी निपटारे सहित अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए ।

क्रमश: पृ. 30 पर...

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा संविदाकार के तृतीय एवं अन्तिम

(ग) अनुबन्ध अनुसार उक्त निर्माण कार्य दिनांक 25.10.97 को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था तथा इस कार्य पर कुल 9,70,034.90 रुपये का व्यय किया जाना अनुमानित था । परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलत बिल अनुसार 2,16,678.26 रुपये का ही कार्य संविदाकार द्वारा किया गया था । दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी अभी तक 20% के लगभग कार्य ही पूर्ण किया गया था । अतः अनुबन्ध की शर्त संख्या 2 के अनुसार संविदाकार के विरुद्ध कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए ।

16. वाउचर संख्या: 9 दिनांक 4.6.97 राशि 2,76,018.00
अनुबन्ध संख्या:- 19 वर्ष 1995-96
माप पुस्तिका संख्या : 818 पृ. ~~ग्यारह~~ 1 से 27
कार्य का नाम :- 6 नं. टाईप-1 क्वाटर सिद्धपुर
बिल संख्या:- छठा चलत बिल
संविदाकार का नाम:- श्री डी.डी.जैन

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य के अनुबन्ध संख्या 19 वर्ष 1995-96 के अवलोकन करने पर पाया गया कि यह निर्माण कार्य 9,75,686.94 रुपये की लागत से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिनांक 11.8.96 तक पूर्ण किया जाना था । परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक भी उक्त निर्माण कार्य के पारित छठे चलत बिल अनुसार इस कार्यपर = 11,29,475.34 रुपये का व्यय किया गया था । इस प्रकार संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य अनावश्यक रूप से लम्बित किया जा रहा था । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदाकार के विरुद्ध कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए । इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य की लागत में अत्याधिक बढ़ोतरी बारे भी स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए ।

17. विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्धों के अनुसार निम्न कार्य मदों की मात्रा और वास्तव में जो कार्य हुआ है में निम्नानुसार बहुत अन्तर है। इस अत्याधिक विचलन बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए ।

लगातार पृष्ठ 31 पर...

:= 37 =:

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा संविदाकार के द्वितीय एवं अन्तिम

[illegible]	चलत बिल संख्या	मानक प्राक्कलन की मदें.	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण होने तक अनुमानित कार्य	चलत बिल तक कार्य का माप	अन्तर	अन्तर%
6/97	5	3/3	फिलिंग अवेलेवल एक्स-कावेटेड अर्थ	46घनमी.	328.19	282.19	613.46
		4	फिलिंग द पॅलिथ विद वोलहरस अंडर फ्लोर	108घनमी.	147.49	39.49	36.56
		15	आर.सी.सी.वरक इन कालम पिलर 1:2:4 अपटू फ्लोर लेवल	3.20घनमी.	4.24	1.04	32.5
		22	आर.आर. मैसनरी इन सीमेन्ट 1:6	58.30घनमी.	168.29	109.99	188.66
		28	आर.आर. मैसनरी विद हारड स्टोन आफ अप-रुवड क्वालीटी	46.80घनमी.	64.62	17.82	38.08
		32	अनैक्सर बी प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग सीमेन्ट कन्क्रीट 1:2:4	.032घ.मी.	.70	.668	2087.58
0/93-94	14	17	अनैक्सर बी प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग एण्ड जोइटिंग विद स्टिफ मिक्सर आफ सीमेन्ट 1:1	42र.मी.	133.74	91.74	218.43
		18	प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कन्क्रीट 1:5:10	42 रं.मी.	91.10	49.10	116.90
		19	प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग स्टोनवेयर इक्वली ट्रैप ग्रेड एकम्पलीट विद सी आइ. गैटिंग ब्रिक मैसनरी सीमेन्ट 1:5	21 नं.	30	9	42.86
		23	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग सेण्ड कास्ट/कास्ट आइरन एण्ड साकट सी आर्इल वेसट एण्ड वेन्टीलेटिंग पाईपस	52.50 रं.मी.	84.85	32.35	61.62
		24	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग सेन्ड कास्ट/कास्ट आइरन स्पनफिक्सिंग (11) 100 एम.एम.नामिनल साइज	21 नं.	30	9	42.86
		25(b)	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग सेन्ट कास्ट/सिंगल इक्वल ब्रांच आफ रिवायरस (1) 75 एम.एम.	21 नं.	30		

[illegible]

निविदाकार के द्वितीय एवं अन्तिम

क्रमांक	चलत बिल संख्या	मानक प्राक्कलन की मद संख्या ।	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण होने तक अनुमानित कार्य	चलत बिल तक कार्य का माप	अन्तर	अन्तर%
/96-97	7	5	रैन्डम रबल मेसनरी पोलीगोनल रबल मेसनरी 1:6:12	380.92 घनमी.	476.79	95.87	25.17
/97-98	8	46	व्हाईट गलेज्ड टाइल्स आफ मिनिमम थिकनेस 90एम.एम.	2.20व.मी.	79.81	77.61	3527.72
			अनेक्सर बी				
		9	परोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग बैण्ड्स आफ रिक्वायर्ड डिग्री (1) 100एम.एम. बैण्ड कास्ट आइरन	2 नं.	5 नं.	3 नं.	150
22/97-98	7	10	आर.सी.सी.वरक इन वृजा 1:3, 1:2:4. (1) अप टू फ्लोर लैवल टू	6.10घ.मी.	7.59	1.49	24.42
		11	आर.सी.सी.वरक इन लिन्टल्स बीम्स पैंलिंथ बीम्स एण्ड 1:3, 1:2:4 (1) फ्लोर लैवल 2 टू 3	15.60घ.मी.	21.02	5.42	34.74
		20	ब्रिक वरक विद ब्रिक आफ क्लास डैजीगनेशन 50 इन सुपर स्टरक्चर 1:6 (1) अप टू फ्लोर लैवल टू	160.15 घनमी.	197.77	37.62	23.49
		19	ब्रिक वरक विद ब्रिक आफ क्लास डैजीगनेशन 50 इन फांउडेशन पैंलिन्थ 1:6	10.43घ.मी.	22.38	11.95	114.57
			अनेक्सर सी				
/97-98		1.	कंटिग इन अरथ वरक इन आल हाईट/डैपथ इन आल कांइड आफ सोआइल	269.75 घनमी.	376.37	106.62	39.62
/97-98	4	13	आर.सी.सी.वरक इन लिन्टल्स बीम्स पैंलिथ बीम्स 1:3, 1:2:4 (1) अपटू फ्लोर लैवल 2	7.75घ.मी.	19.71	11.96	154.32
		15	आर.सी.सी.वरक इन स्टेयर केसिस 1:3, 1:2:4 (1) अपटू फ्लोर लैवल 2	1.12घ.मी.	1.39	.27	

लगातार .... पर...

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा संविदाकार के तृतीय एवं अन्तिम

वाउचर सं.	चलत बिल संख्या	मानक प्राक्कलन की मद संख्या	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण होने तक अनुमानित कार्य	चलत बिल तक कार्य का माप	अन्तर	अन्तर%
		17	आर.सी.सी.वरक इन वरटिकल एण्ड हौरीजैन्टल 1:3, 1:2:4 (i) अपटू फ्लोर लैवल 2	3.13 घ.मी.	6.72	3.59	114.69
		18	सैनीटरिंग एण्ड सटरिंग इनक्लूडिंग सटरींग परोपिंग एण्ड रिमूवल आफ फोम वरक (iii) सैलवस	68.55 व.मी.	94.23	25.68	37.46
		18	(8) वरटीकल एण्ड हौरीजैन्टल फाईनलं इण्डीविजुयली आर फौरमिंग वाक्स	276.96 व.मी.	482.57	205.61	74.24
24/96-97	5	4	सरफेस ड्रेसिंग आफ द ग्राउंड इनक्लुडिंग रिमुविंग वेजीटेशन	2.60 व.मी.	290	2874	11053%
		7	परोवाईडिंग एण्ड लेइंग सीमेन्ट कन्क्रीट इन रिटेनिंग वालस, रिटर्न वालस 1:5:10	10.20 घ.मी.	14.86	4.66	45.68
		14	आर.सी.सी.वरक इन लिन्टलस बीम्स पॅलिथ बीम्स 1:2:4 (i) अपटू फ्लोर लैवल 2	3.50 घ.मी.	7.68	4.18	119.42
		34	परोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग वैल्डिंग 120×4 एम.एम. एस गारड फ्लैट्स 10 सें.मी.	197 कि.ग्रा.	560.06	363.06	184.29
		35	परोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग टी आयरन फरेमस फार जेरस, विन्डोस एण्ड वेन्टीलेटरस आफ माईल्ड स्टील	445 कि.ग्रा.	782.69	337.69	75.88
40/97-98	8	1	अरथ वरक इन एक्सकावेशन इन फाउंडेशन टरेन्चस आर डरेनस (i) हारड/डैनस सौआइल, आरडीनरी राक	121 घ.मी.	189.51	68.51	56.61
		2	फिलिंग अवेलेबल एक्साकावेटड अरथ (एक्सक्लुडिंग राक) इन टरेन्चस पॅलिथ, साइडस आफ फाउन्डेशनस	33.60 घ.मी.	162.51	128.91	383.66

लगातार पृष्ठ ...

[illegible] सं.	चलत बिल संख्या	मानक प्राक्कलन की मद संख्या	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण होने तक अनुमानित कार्य	चलत बिल तक कार्य का माप	अन्तर	अन्तर%
		3.	परोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कन्क्रीट इन फुटिंग एण्ड बेसिस फार कायम्स 1:5:10	26.10 घ.मी.	33.31	7.21	27.62
		15.	सैनीटरिंग एण्ड सटरिंग (4) लिन्टल्स एण्ड बीम्स	144.40 व.मी.	301.17	156.77	108.57
		20	आर.आर. मैसनरी विद हारड स्टोन इन फाउंडेशन 1:6:12	24.90 घ.मी.	64.65	39.75	159.64
		22	बरिक वरक विद बरिक्स आफ क्लास डैजीगनेशन 50 इन सुपर स्टरक्चर (ii) फरौम फ्लोर लेवल 2 टू फ्लोर लेवल 3	36.50 घ.मी.	49.65	13.15	36.03
		23.	हाफ बरिक मैसनरी विद बरिक्स आफ क्लास डैजीगनेशन 50 इन सुपर स्टरक्चर (ii) फरौम फ्लोर लेवल2 टू ~~फ्लल=~~ फ्लोर लेवल 3	79.30 व.मी.	98.99	19.69	24.82
97-98	4	21	रिइनफोरसमैन्ट फार आर.सी.सी. वरक इनक्लुडिंग बैन्डिंग्स, बाइन्डिंग्स एण्ड प्लेसिंग इन पोजीशन कम्पलीट (i) माइल्ड स्टील एण्ड मीडीयम टैन्सिल स्टील बोरस	5194.18 कि.ग्रा.	16583.61	11389.43	21927
97-98	4	25	बरिक वरक विद बरिक्स आफ क्लास डैजीगनेशन 50 इन फाउंडेशन एण्ड पलिन्थ इन सीमेन्ट 1:6	3.32 घ.मी.	23.61	20.29	611.14
		27	बरिक वरक 7 सै.मी. थिक विद बरिक्स आफ क्लास डैजीगनेशन 50 इन ~~फाउंडेशन एण्ड पलिन्थ~~ इन सीमेन्ट मोरटर 1:3 (i) अप टू फ्लोर लेवल 2.	6.73 व.मी.	72.57	65.84	978.31
			(ii) फरौम फ्लोर लेवल 2 टू फ्लोर लेवल 3	9.00 व.मी.	91.28	82.28	914.32
		75	परोवाईडिंग रिजिस आर रिटस आफ विड्थ 60 सै.मी. ओवर आल विथ पैन जी.एस. शीट्स (क्लास वन)	63.60 व.मी.	84.68	21.08	3[illegible]

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा संविदाकार के तृतीय एवं अन्तिम

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	77	परोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग 63 एम.एम. थिक (कालस वन) पेन जी.एस. शीट	177.60 व.मी.	257.16	79.56	44.80
		अनेक्सर-बी				
	12	परोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग एम.एस. होल्डर वैट क्लैम्पस आफ अपरूवड डिजाइन टू सैन्ड कास्ट आइरन (i) फार 100 एम.एम. हावा पाइप	8नं.	24 नं.	16 नं.	200
	22	परावाईडिंग एण्ड फिक्सिंग जी.आई. पाइप कम्पलीट विद जी.आई. फिटिंग एण्ड क्लैम्पस (i) 20 एम.एम. नौमिनल बोर	47.40 मी.	62.12	114.72	31.05

18. निम्न विवरणानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के चलत बिलों की जांच करने पर पाया ~~गया~~ गया कि प्रत्येक निर्माण कार्य करवाते समय अनेक प्रतिस्थापित व अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाया गया । परन्तु इन मदों के न तो निष्पादन बारे तथा न ही दर निर्धारण बारे सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा इन मदों के निष्पादन से सम्बन्धित भुगतान अन्तिम दरों के आधार पर ही किया जा रहा है। यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है। भविष्य में इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए ।

[illegible]न्च सं.	चलत बिल संख्या	अतिरिक्त मद सं.	प्रतिस्थापित मद संख्या	मद का नाम	कार्य का माप	अन्तिम दर	किया गया भुगतान
[illegible]/97-98	4	6	----	आर.आर. मैसनरी इन फाउंडेशन एण्ड प्लिंथ 1:6	23.12 घ.मी.	1000.00 (पार्ट)	23120.00
		7	----	प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग सी.आई. पाइप 150 एम.एम.	72.55 र.मी.	1100.00 (पार्ट)	79805.0
		8	----	प्रोवाइडिंग लैड कोक ज्वाइंट	13 नं.	40.00 (पार्ट)	520.00
		9	----	सप्लाईंग पींग लैड एण्ड साइट	.442 (क्विंटल)	6300 (पार्ट)	2784.60
		4	----	अनेक्सर-डी ब्रिक वर्क विद ब्रिक आफ क्लास डैजीगनेशन 1:4	45.12 घ.मी.	1900.00 (पार्ट)	[illegible]

वार्फिंग, [illegible]

लगा. पृ. 3[illegible]

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा संविदाकार के तृतीय एवं अन्तिम चलत बिल के अनुसार संविदाकार द्वारा निपटाया गया कार्य त्रुटिपूर्ण होने

5	-----	अनैक्सर डी एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क इन सकुलर	45.12 घ.मी.	100.00	4512.00
6	----	प्रावाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कन्क्रीट इन वाल 1:2:4	11.30 घ.मी.	1640.00	18532.00
7	---	15 एम.एम.सीमेन्ट प्लास्टर 1:2	75.90 व.मी.	70.00	5013.00
8	---	प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट क्रन्क्रीट इन फुटिंग इन 1:2:4	5.77 घ.मी.	1700.00	9809.00

19. वाउचर संख्या 120 दिनांक 31.3.98 राशि 55106.00रूपये
अनुबन्ध संख्या:- 8 वर्ष 1995-96
माप पुस्तिका संख्या:- 920 पृष्ठ 55
संविदाकार का नाम :- श्री डी.डी.जैन
कार्य का नाम :- बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन 2 नं. टी-4 क्वाटरज
चलत बिल:- सातवां चलत बिल

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 6/एस.एस. आई "प्रोवाईडिंग एण्ड इरैक्टिंग गैलेवनाइज्ड माईल्ड स्टील ट्यूब 100 एम.एम. डाया " के 6 मीटर करवाए गए कार्य हेतु 370.25रूपये प्रति मीटर की दर से 2221.50 रूपये का भुगतान किया गया । उक्त मद के दर निर्धारण की जांच करने पर पाया गया कि हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1993 इरीगेशन व पब्लिक हैल्थ विभाग में निर्दिष्ट दरों पर अनुबन्ध के एनैक्सचर "ए" का प्रिमीयम 248.20% जोड़कर दर 370.25रूपये प्रति मी. निर्धारित किया गया था परन्तु नियमानुसार हि0 प्र0 मानक दर 1993 की दरों पर एनैक्सचर "बी" का प्रिमीयम 200.96% जोड़कर दर का निर्धारण 299.79रूपये पर किया जाना अपेक्षित था । क्योंकि उक्त मद अनैक्सचर "बी" से सम्बन्धित थी । अत: सातवां चलत बिल तक 6 मीटर के करवाए गए कार्य हेतु 70.46रूपये प्रति मी. की दर से (370.25-299.79) 422.76 रूपये का अधिक भुगतान किया गया था । इस राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जाए व आगामी चलत बिलों में करवाए गए कार्य हेतु सही दर से भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

20. वाउचर संख्या 86 दिनांक 27.3.98 राशि 6380.00रूपये
माप पुस्तिका संख्या:- 838 पृष्ठ 11
अनुबन्ध संख्या :- 1 वर्ष 1996-97
संविदाकार का नाम :- श्री संजीव गुप्ता
कार्य का नाम :- 13 नं. एम.आई.जी. व 8 नं. एच.आई.जी. मकान हेतु आन्तरिक वायरिंग

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा संविदाकार के तृतीय एवं अन्तिम चलत बिल के अनुसार संविदाकार द्वारा निपटाया गया कार्य त्रुटिपूर्ण होने के कारण 2000.00रुपये की राशि की कटौती बिल में से की गई थी परन्तु वाउचर के साथ यह विवरण संलग्न नहीं था कि कार्य की कौन-2 सी मदें त्रुटिपूर्ण एवं दोषपूर्ण थी ।

उक्त विवरण के अभाव में बिल में से काटी गई राशि के सही होने बारे जांच नहीं की जा सकी । सम्बन्धित अभिलेख सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए ।

21. वाउचर संख्या 133 दिनांक 31.3.98 राशि 1,47,036.00रुपये
अनुबन्ध संख्या :- 5 वर्ष 1996-97
बिल संख्या:- पांचवा चलत बिल
माप पुस्तिका संख्या :- 924 पृष्ठ 34
संविदाकार का नाम :- श्री आर.सी. चोपड़ा
कार्य का नाम :- टूरिस्ट इनफारमेशन सेन्टर मक्लोडगंज

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवें चलत बिल कीजांच पर पाया गया कि इस ~~निर्माण~~ बिल की मद संख्या 35 से 38 (अतिरिक्त)के दर निर्धारित करते समय "स्टोन वर्क विद आउट सी.सी. 1:2"हेतू हि0प्र0 मानक दर अनुसूची में निर्दिष्ट दरों में से उक्त मद को बिना सी.सी. 1:2 से करवाए जाने हेतू 70.60रुपये की कटौती की गई थी । परन्तु उक्त 70.60 रुपये की कटौती किस आधार पर तय की गई थी, अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया । इस सम्बन्ध में अभिलेख सहित तथ्यों की पुष्टी आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए । इन मदों हेतू भुगतान की गई राशियों का विवरण दरों सहित निम्न दिया जाता है :-

मद सं.	नाम	करवाए गए कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	भुगतान (रु.)
35(अतिरिक्त)	स्टोन वर्क की एसलर एक्सक्लूडिंग फ्वाईंटिंग सी.सी. 1:2	7.53 घनमी.	2671.60 प्रति घन मी.	20117.14
36(अति0)	स्टोन वर्क सेंक या मोल्डिड विदाउट फ्वाईंटिंग सी.सी. 1:2	0.29 घन मी.	4111.00 प्रति घन मी.	1192.19
37(अति0)	स्टोन वर्क इन प्लेन असलर साईक्लोपिअन वीद आउट फ्वाईंटिंग सी.सी. 1:2	67.81 घनमी.	3000.00 प्रतिघनमी.	203477.47
38(अति0)	स्टोन वर्क सेंक या मोल्डिड अप टू आल लेवल सी.सी. 1:2	2.50 घनमी.	4617.43 प्रति घन मी.	11543.00

लगातार पृष्ठ 38 पर.....

(ख) उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित संविदाकार की खाता वही के अवलोकन पर पाया गया कि आवास बोर्ड के भण्डार में से इन्डेन्ट संख्या 9363 मास 10/97 द्वारा संविदाकार द्वारा 100 बोरी सिमेन्ट प्राप्त किया गयाथा परन्तु तृतीय चलत बिल से लेकर पांचवे चलत बिल तक सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में सिमेन्ट प्राप्ति से सम्बन्धित तैयार की गई विवरणियों अनुसार उक्त प्राप्त की गई 100 बोरी सिमेन्ट नहीं दर्शाई जा रही थी । इस सम्बन्ध में तथ्यों की शीघ्र छानबीन करके तथा सिमेन्ट की कीमत की कटौती सहित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

22. अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अत्याधिक निर्माण कार्य छोटे-2 भागों में बांटकर निर्माण कार्य आदेशों (वर्क आर्डर) में विभाजित करके विभिन्न संविदाकारों द्वारा निष्पादित करवाए गए थे जबकि एक निर्माण कार्य से सम्बन्धित एक ही अनुमान तैयार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके तथा तदानुसार संविदाऐं मंगवाकर व अन्य समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करवाकर कार्य करवाया जाना आपेक्षित था । एक ही निर्माण कार्य को छोटे-2 भागों में विभाजित करके उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त न करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया प्रतीत होता है । यह प्रकरण पूर्व वर्षों में अंकेक्षण द्वारा उच्चाधिकारियों के ध्यान में कई बार लाए जाने के बावजूद भी इस अनियमित प्रक्रिया की रोक हेतु कोई कोई उचित पग नहीं उठाए गए हैं । अतः यह मामला पुनः आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही निर्माण कार्य को छोटे-2 भागों में बांट कर करवाए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से छूट प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

कार्य आदेश सं व वर्ष	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	कार्य आदेश की राशि
2/97-98	के. एन. वी. पंथरोला, सैप्टिक टैंक	श्री सुभाष चन्द	11,194.00
3/97-98	----"------	---"---	10968.00
4/97-98	----"-----	----"----	9945.00
10/97-98	----"-----, सप्लाई आफ मैटीरियल	श्री सूरज प्रकाश	14745.00
11/97-98	-----"-----	----"-----	15200.00
1/97-98	---"--- रोड टू काम्पलैक्स	---"---	19502.00

(आर. पी. 660 से 740)

लगातार पृष्ठ 39 पर....

38/97-98	जे.एन.वी. पपरोला {ब्रीक पीलर व गेट}	श्री अवनी कुमार	8419.00
7/97-98	पार्शियल स्वत: वित योजना विद्रावन, डवैलपमैंट आफ ग्रीन स्पेस	श्री बलजीत सिंह	13988.00
8/97-98	-----"-----	---"----	15622.00
9/97-98	-----"-----	----"----	19163.00
15/97-98	----"-----	श्री जरासन्द शर्मा	13879.00
20/97-98	----"-----रोड़ निर्माण	श्री मनोहर लाल	17624.00
16/97-98	----"-----रोड़ निर्माण	श्री डी.डी. जैन	13254.00
18/97-98	------"---- --"--	श्री भूपी राम	9300.00
17/97-98	--- "---{सैप्टीक टैंक}	श्री डी.डी. जैन	13623.00
21/97-98	--- "--{आर.सी.सी. कलवर्ट}	श्री मनोहर लाल	12761.00
23/97-98	----"--{डैनेज व एपरोच रोड़}	श्री पंकज	9360.00
24/97-98	---"-----{रोड़}	श्री डी.डी. जैन	17850.00
30/97-98	---"----{डवैलपमैंट आफ साईट}	श्री जरासन्द शर्मा	18053.00
31/97-98	----"---{ग्रीन स्पेस}	श्री बलजीत सिंह	4240.00
32/97-98	----"---{ग्रीन स्पेस}	श्री जरासन्द शर्मा	19784.00
33/97-98	----"--,{--"-- }	श्री बलजीत सिंह	19077.00
34/97-98	---"---,---"---	---"----	17142.00
35/97-98	--- "---, {रोड़}	श्री कमल किशोर	9750.00
40/97-98	----"--,{रोड़}	श्री मनोहर लाल	14390.00
14/97-98	पार्शियल सैल्फ फाईनेंस स्कीम विद्रावन, कन्सट्रक्शन आफ रोड़	श्री जरासन्द	17078.00
13/97-98	----"------	श्री मनोहर लाल	19175.00
6/97-98	सोशल हाउसिंग कलोनी डेरा, रिटेनिंग वाल	श्री विजय कुमार	19487.00
19/97-98	------"-------	श्री मस्त राम	19762.00
22/97-98	-----"-- ----	श्री सुरेश कुमार	19875.00
27/97-98	----"-----	श्री मस्त राम	19813.00
5/97-98	स्टाफ क्वाटर शिक्षा स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला	श्री संजय	9555.00

लगातार पृष्ठ 40 पर....

12/97-98	------"-----	श्री सुरेश	6705.00
25/97-98	--------"------	श्री मनोहर लाल	19800.00
26/97-98	------"------	श्री अजय पराशर	19983.00
28/97-98	------"-----	श्री सुरेश	15831.00
29/97-98	---- "----, रिटेनिंग वाल	श्री संजय	17827.00
36/97-98	---- "------	श्री आर.सी.शर्मा	19938.00
37/97-98	---"----	---"-----	19573.00
41/97-98	-----"------	---"-----	17357.00
42/97-98	----"------	---"-----	19952.00
43/97-98	स्टाफ क्वाटर हि0प्र0स्कूल शिक्षा बोर्ड-धर्मशाला	श्री संजय	15086.00
44/97-98	-------"------	----"----	16668.00
39:97-98	वरिस्ट इन्फारमेशन सेन्टर मक्लोडगंज	मै. शर्मा इलैक्ट्रीकल	4390.00
47/97-98	----- -"------	श्री संजय पराशर	18764.00
48/97-98	-------"-----	श्री अभय राना	16385.00
49/97-98	-------"----	---"-----	16385.00
45/97-98	हाउसिंग कलोनी भनियारा कन्सट्रक्शन आफ रोड	श्री सुरेश कुमार	18630.00
46/97-98	सोशल हाउसिंग कलोनी नुरपुर	श्री महेन्द्र लाल	19643.00

23. वाउचर संख्या 40 दिनांक 6.6.97 राशि 10516.00रूपये
वर्क आर्डर संख्या :- 4 वर्ष 1997-98
माप पुस्तिका संख्या :- 826 पृष्ठ 91
बिल संख्या :- प्रथम व अन्तिम बिल
नाम :- सिवरेज सिस्टम जे.एन.वी.पपरोला
संविदाकार का नाम :- श्री सुभाषचन्द ।

(क) उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा वर्क आर्डर की मद संख्या । "प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सिमेन्ट कंक्रीट 1:6:12" के करवाए गए कार्य 60.09 घनमी. हेतु 175.00रूपये प्रति घन मी. (लेबर रेट) की दर से 10515.75रूपये का भुगतान किया गया । कार्य के सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु खुदाई से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियां वर्क,आर्डर संख्या 3 वर्ष 97-98 द्वारा करवाई गई थी । खुदाई एवं सिमेन्ट कंक्रीट 1:6:12 से सम्बन्धित

लगातार पृष्ठ 41 पर...

रिकार्ड प्रविष्टियों आपस में मेल नहीं खाती थी । यदि खुदाई से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों को सही मान लिया जाए तो 4 नं. चैम्बर का माप 1-26×1-26 की बजाय 1.13×1.26तथा टैंक का माप 25.30×10मी.की बजाय 25.00×10मी.बनता था । इस प्रकार अंकेक्षण में की गई गणना अनुसार 0.81 घन मी. हेतु 175/=रूपये प्रति घन मी. की दर से 142.00रूपये के अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से शीघ्र की जाए ।

§ब§ उपरोक्त 0.81घन मी. अधिक माप दर्शाए जाने के कारण निर्माण कार्य पर 2 बोरी सिमेन्ट§0.81×2.20§0.72 घन मी. बजरी 40 एम.एम. साईज तथा 0.38 घन मी. रेत की अधिक दर्शाई गई खपत के फलस्वरूप उक्त समस्त सामान की कीमत की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

24. वाउचर संख्या 5 दिनांक 4.3.98 राशि 10535 1.00रूपये
अनुबन्ध संख्या :- 2 वर्ष 1993-94
माप पुस्तिका संख्या :- 889 पृष्ठ 26 से 54
बिल संख्या :- 14 वां चलत बिल
कार्य का नाम :- पार्श्विल सैल्फ फाईनेंस स्कीम विद्यांचल 21 नं. कैट-II हाउसिस
संविदाकार का नाम :- श्री अश्वनी कुमार

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद संख्या 37§प्रतिस्थापित "मार्बल चिपस सर्फेसिंग या हैवी 30 सैo हाईट इन टाप लेयर 24 एम.एम." के करवाए गए 449.19 वर्ग मी. कार्य हेतु 160.00रूपये पार्ट दर §पूर्ण दर 204.40रू.§ से 71870.40रूपये का भुगतान कियागया । अनुबन्ध अनुसार यह कार्य 20 एम.एम. थिक चिपस में करवाया जाना था । इसके अतिरिक्त हिo प्रo मानक दर अनुसूचि 1987 अनुसार भी उक्त कार्य 20 एम.एम.या 22 एम.एम.थिक चिप्स में करवाया जाना वर्णित था ।अत: अनुबन्ध एवं मानक दर अनुसूचि में निर्दिष्ट विवरण की अनदेखा करके उक्त कार्य को एक अभिन्न मद के रूप में करवाए जाने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए । उच्चाधिकारी आवश्यक जांच उपरान्त कृपया यह भी सुनिश्चित करें । कि उक्त मद को बदल कर अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादित नहीं संविदाकार को अनावश्यक रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से से तो नहीं कियागयाहै ।

25. वाउचर संख्या 65 दिनांक 12.6.97 राशि 9463/=रूपये

जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला में बांऊड्री वाल से सम्बन्धित

लगातार पृष्ठ 42 पर...

निर्माण कार्य के एम.ए.एस. रजिस्टर पृष्ठ 33 के अवलोकन करने पर पाया गया कि आर.सी.सी.पोस्ट 140 नं. ठेकेदार को प्रयोग हेतु जारी किए गए दर्शाए गए परन्तु उपरोक्त सामान को जारी करने के सम्बन्ध में एम.ए.स एस. रजिस्टर में कोई भी विवरण जैसे कि इन्डेन्ट संख्या, माप पुस्तिका संख्या दिनांक इत्यादि को उपलब्ध नहीं था । उपरोक्त विवरण के अभाव में इस सामान का उक्त बारे पुष्टि नहीं की जा सकी । उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा सामान की कीमत की वसूली दोषी से शीघ्र की जाए ।

26. वाउचर संख्या 15 दिनांक 4.6.97 राशि 56276.00रुपये
अनुबन्ध संख्या :- 18 वर्ष 96-97
माप पुस्तिका संख्या :- 695, पृष्ठ 90
बिल संख्या :- 7 वाँ चलत बिल
कार्य का नाम :- पार्शियल सेल्फ फाईनेंस स्कीम विन्द्रावन। सपलाईंग आफ फैक्टरी मेड होलो वुड डोर विंडो ।
संविदाकार का नाम :- मै. मधु बुडन टिम्बर

मण्डल द्वारा पत्र संख्या डी.डी./एच.वी/डब्ल्यू-7/94-4181-87 दिनांक 4.11.95 द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य का आंवटन कियागया था जिसके अनुसार "35 एम.एम. थीक फैक्टरी मेड पैनल डोर शटटर मेड आफ होलोक वुड" की कार्य मात्रा 982.56वर्ग मी. व "35 एम.एम. थीक फैक्टरी मेड सिंगल लीफ विंडो शटटर मेड आफ होलोक वुड" का कार्य 532.56 वर्ग मी. संविदाकार द्वारा कार्य आवंटन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करवाया जाना अनुबन्धित था । परन्तु तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी उक्त कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था तथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदाकार के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए ।

27. बिन कार्डों में गलत गणना के फलस्वरूप 10 बोरी सिमेन्ट का दुर्विनियोजन:-

(क) उपमण्डल पपरोला के बिन कार्ड संख्या 215 के अनुसार दिनांक 24.9.97 को सिमेन्ट की 220 बोरियां शेष थी तथा दिनांक 3.10.97 को इसी बिन कार्ड से 100 बोरी जारी की गई । इस प्रकार इस बिन कार्ड में 120 बोरी शेष दर्शायी जानी चाहिए थी । परन्तु बिन कार्ड में केवल 110 बोरी शेष दिखाई गई थी । इस प्रकार 10 बोरी सिमेन्ट गणना में कम लेकर सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है । अतः उक्त 10 बोरी सिमेन्ट की 140/=रुपये प्रति बोरी की दर से कुल

लगातार पृष्ठ 43 पर..

कीमत 1400/=रुपये की चौकी से वसूली करके अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

[illegible] स्टाक अभिलेख उपमण्डल, पालमपुर की जांच करने पर यह पाया गया कि इन्डैंट संख्या 6402 दिनांक 3.1.98 द्वारा संविदाकार श्री अवनी कुमार ठक्कर को निर्माण कार्य के.एन.वी. पपरोला पर उपयोग हेतु 100 बोरी सीमेन्ट मु0 140/=रुपये की दर से कुल कीमत राशि मु0 14,000/=रु. जारी की गई, लेकिन इस राशि का आवास बोर्ड के लेखाओं में समायोजन नहीं किया गया । इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस असमायोजित राशि का तुरन्त लेखाओं में समायोजन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

28. भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय राजस्व विभाग सैंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पत्र संख्या एफ नं. 123/97/96-टीपीएल. दिनांक 3.8.95 के अनुसार विज्ञापनों पर हुए व्यय का भुगतान करते समय कुल राशि के एक प्रतिशत की दर से आयकर काटा जाना अपेक्षित था । परन्तु आवास बोर्ड के धर्मशाला मण्डल के विज्ञापन रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियां विज्ञापन पर हुए व्यय के रूप में भुगतान की गई परन्तु इन राशियों का भुगतान करते समय निर्धारित दर से आयकर नहीं काटा गया था । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

वाउचर सं.	दिनांक	राशि रु.	विज्ञापन की तिथि	अखबार का नाम
46	9.6.97	2250.00	5.4.97	हिमाचल केसरी
47	9.6.97	2700.00	7.5.97	---"---
48	9.6.97	3450.00	5.4.97	---"---
50	15.7.97	3000.00	7.6.97	---"---
51	15.7.97	2400.00	7.6.97	---"---
52	15.7.97	2700.00	14.5.97	---"---
15	7.8.97	3000.00		---"---
116	29.8.97	16500.00		दि ट्रिब्यून
117	29.8.97	5500.00	19.5.97	---"---
118	29.8.97	12000.00	21.5.97	---"---
119	29.8.97	5500.00	8.5.97	---"---
120	29.8.97	5500.00		---"---
121	29.8.97	9000.00	19.6.97	---"---
57	17.10.97	4030.00	1.9.97	हिमाचल केसरी
58	17.10.97	4020.00	1.9.97	---"---
59	17.10.97	4020.00	1.9.97	---"---
57	22.11.97	2760.00	7.9.97	पालमपुर रिपोर्टर

लगातार [illegible] पर...

58	22.11.97	2780.00	7.9.97	पालमपुर [illegible]
59	22.11.97	2780.00	7.9.97	--"--
60	22.11.97	3570.00	7.8.97	हिमाचल बेकरी
63	17.1.98	3040.00	7.12.97	--"--
64	17.1.98	4200.00	7.8.97	--"--
17	4.2.98	4620.00	7.1.98	--"--
81	23.2.98	7500.00	13.8.97	इण्डियन एसटेट
62	23.2.98	5250.00	16.7.97	--"--
63	23.2.98	7500.00	11.6.97	--"--
64	23.2.98	9000.00	8.5.98	--"--
55	17.3.98	5460.00	7.2.98	हिमाचल बेकरी

29. ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि हि0 प्र0 आवास बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता-ओं को दि0 22.11.95 को हुई मीटिंग में निविदा फार्मों के विक्रय हेतु निर्धारित दरों पर बेचने को [illegible] उन दरों पर फार्म बेचे जा रहे थे। इस अनियमितता के कारण आवास बोर्ड को निम्न विवरणानुसार कुल 1500/-रुपये की राशि की हानि हुई। इस राशि को दोषियों से शीघ्र वसूल करके अनुपालना आगामी ऑडिट पर दिखाई जाए।

निविदा खोलने की तिथि	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत	जिस दर से निविदा फार्म बेचे गए	वास्तव में जिस दर पर बिक्री होनी थी।	कम वसूल की गई राशि	ठेकेदार का नाम
[illegible].6.97	स्वतः वित्तीय आवास कॉलोनी सनिधारा, धर्मशाला	151310.00	200.00	250.00	50.00	श्री आर.के. महाजन
			200.00	250.00	50.00	मै. के. कुमार एण्ड कम्पनी
			200.00	250.00	50.00	श्री गन्धार सिंह
			200.00	250.00	50.00	श्री अमल किशोर शर्मा
[illegible].6.97	स्टाफ क्वाटर स्कूल शिक्षा बोर्ड	106209.00	200.00	250.00	50.00	श्री आर.के. महाजन
			200.00	250.00	50.00	मै. के. कुमार एण्ड कम्पनी
			200.00	250.00	50.00	श्री गन्धार सिंह
			200.00	250.00	50.00	" अमल किशोर शर्मा
[illegible].7.97	1 नं. टी.वी. क्वाटर स्कूल शिक्षा बोर्ड [illegible]पुर	101686.00	200.00	250.00	50.00	श्री पी.सी. जैन
			200.00	250.00	50.00	श्री मनोहर लाल
			200.00	250.00	50.00	श्री अश्वनी कुमार
[illegible].6.97	एस.एफ.एस. सनिधारा	150800.00	200.00	250.00	50.00	श्री अरुण कुमार
			200.00	250.00	50.00	श्री [illegible] कुमार
			200.00	250.00	50.00	श्री राकेश कुमार
			200.00	250.00	50.00	श्री [illegible] कुमार

लगातार पृ0 45 पर..

6.97	जे.एन.वी. पपरोला	331000.00	200.00	250.00	50.00	श्री अजय कुमार
			200.00	250.00	50.00	श्री जतिन्द्र कुमार
			200.00	250.00	50.00	श्री राकेश कुमार
			200.00	250.00	50.00	श्री जोगिन्द्र सिंह
9.97	स्टाफ क्वाटरज स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला सिद्धपुर	102804.00	200.00	250.00	50.00	श्री अजय राणा
			200.00	250.00	50.00	श्री राजेन्द्र गुप्ता
			200.00	250.00	50.00	श्री संजय वैस्था
			200.00	250.00	50.00	श्री मनमोहन सिंह
			200.00	250.00	50.00	श्री राजीव शर्मा
			200.00	250.00	50.00	श्री अविनाश शर्मा
			200.00	250.00	50.00	श्री अजय पराशर
			200.00	250.00	50.00	~~[illegible]~~ श्री रमेश चन्द्र शर्मा
1.98	ब्यूटीफिकेशन एण्ड ~~[illegible]~~ लैंड स्कैपिंग मर्चीपाल लेक	132248.00	200.00	250.00	50.00	श्री नरेश कुमार
			200.00	250.00	50.00	श्री संजय कुमार
			200.00	250.00	50.00	श्री संजीव कटोच
					1500.00	

30(क) हि0 प्र0 आवास बोर्ड धर्मशाला मण्डल के वाहन संख्या एच.आई.के. 460 की लॉग बुक की जांच पर पाया गया कि मास 3/98 के अन्त में निम्न विवरणानुसार 30 लीटर पैट्रोल की गणना कम की गई थी । अतः उक्त 30 लीटर पैट्रोल की कीमत दर 22.45रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कुल राशि 673.50रुपये की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

मास 2/98 का शेष अग्रे भारत लिया	40 लीटर
मास 3/98 के दौरान पैट्रोल खरीदा गया	410 -"-
कुल पैट्रोल	450.00 लीटर
पैट्रोल खर्च किया गया	400.00 -"-
शेष	50.00 -"-
मास 4/98 के लिए शेष उठाया गया	20.00 -"-
कम गणना की गई	30.00 -"-

(ख) समायोजन वाउचर संख्या 74 मास 3/98 राशि 46,327/-रुपये

मास 10/97 में वाहन संख्या एच.आई.के. 460 निम्न विवरणानुसार सहायक अभियन्ता द्वारा प्रयोग किया गया । लॉग बुक में विभिन्न स्थानों की दिखाई गई दूरी वास्तविक दूरी से कहीं अधिक प्रतीत होती है तथा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा भी यह यात्राएं सत्यापित नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त बिना अधिशाषी अभियन्ता की स्वीकृति से ही वाहन का प्रयोग किया गया प्रतीत होता है

लगा. पृ. 46 पर...

इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त वास्तव में दूरी से अधिक दर्शाई गई दूरी हेतु निर्धारित दर से दोषी से वसूली करके अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

दिनांक	कि.मी. दिखाये गये	वास्तविक दूरी कि.मी.में	यात्रा दिखाई गई	जितने ज्यादा कि.मी. दिखाए गए	टिप्पणी
15.10.97	116	80	धर्मशाला से मरान्हा और वापसी	36	अधिशाषी अभियन्ता की स्वीकृति नहीं ली गई ।
16.10.97	129	30	धर्मशाला से मैक्लोडगंज, डलझील	99	मुख्यालय से झील की वास्तविक दूरी 15 कि.मी.
17.10.97	117	---	धर्मशाला लोकल	----	यात्राओं को अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया ।
18.10.97	147	----	धर्मशाला लोकल	---	---"---

(ग) वाहन संख्या एच.आई.के. 460 की लॉग बुक के अवलोकन से पाया गया कि मास 2/98 व 3/98 में की गई निम्नलिखित यात्राओं से सम्बन्धित आऊट टर्न वर्ष 1997-98 के अन्त तक तैयार नहीं की गई थी इस अनियमितता के फलस्वरूप निम्न यात्राओं से सम्बन्धित व्यय अभी तक सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर डैबिट तथा शीर्ष आर/एम गाड़ी नं. एच.आई.के 460 को क्रेडिट नहीं किया गया था ।निम्नविवरणानुसार उपरोक्त गाड़ी द्वारा मास 2/98 व 3/98 में कुल 1843 किलोमीटर [की दूरी तय की थी तथा इस प्रकार 13.80 रु प्रति कि.मी.] आऊट टर्न की दर से कुल 25433.40रुपये उपरोक्त शीर्षों में डैबिट तथा क्रेडिट होने अपेक्षित थे । इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक अवधि के दौरान किया गया व्यय तथा आय इसी वर्ष के अन्त तक कार्यों पर डैबिट तथा गाड़ी की मुरम्मत एवं रख-रखाव को क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि लेखाओं में वास्तविक वित्तीय स्थिति सामने आ सके ।

मास	मास में दूरी तय की कि.मी.में
2/98	565
3/98	1278

लगातार पृ.. 47 पर ...47 पर...

(घ) मण्डलीय वाहन संख्या एच.आई.के. 460 की लॉग बुक की जांच करने पर पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त वाहन द्वारा की गई मास 6/97 तक सभी यात्राओं का उद्देश्य केवल मात्र "सरकारी" दर्शाया गया था तथा कार्य के पूर्ण विवरण के अभाव में ऐसी यात्राओं से सम्बन्धित व्यय भी विभिन्न निर्माण कार्यों पर अनुमान के आधार पर डैबिट किया गया था जबकि लॉग बुक में प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित किए गए कार्य के विवरण के अतिरिक्त यात्रा के उद्देश्य बारे पूर्ण विवरण भरा जाना अपेक्षित था तथा तदानुसार ही प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित व्यय सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर डैबिट किया जाना था । यह एक गम्भीर अनियमितता थी तथा अवधि 6/97 तक प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित व्यय को बिना किसी विवरण के ही विभिन्न निर्माण कार्यों को अनुमानित आधार पर डैबिट करने की प्रक्रिया को उचित नहीं ठहराया जा सकता इससे अतिरिक्त प्रत्येक निर्माण कार्यों की सही लागत नहीं आंकी जा सकती । इस सम्बन्ध में अवधि 6/97 तक की गई समस्त यात्राओं से सम्बन्धित संशोधित आऊट टर्न तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु उपलब्ध करवाई जाए ।

(ङ) वाउचर संख्या 26 मास 3/98 राशि 52,743/=रुपये

मण्डलीय वाहन संख्या एच.आई.के. 460 की लॉग बुक के अनुसार दिनांक 3.1.97 को शिमला से धर्मशाला वरास्ता चण्डीगढ़ तक 416 कि.मी. की दूरी तय की गई । लॉग बुक में उक्त यात्रा का उद्देश्य विश्राम गृह के लिये फरनीचर का निरीक्षण किया जाना दर्शाया गया जबकि उक्त मास की आऊट टर्न के वाउचर में इस यात्रा से सम्बन्धित व्यय रु0 13.80रु0 की दर से कुल 5768.40रुपये की राशि निर्माण कार्य के.एन.पी. पपरोला के खाते में डैबिट की गई थी । इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि का उचित शीर्ष के अन्तर्गत समायोजन सुनिश्चित किया जाए ।

(च) वाहन संख्या एच.आई.के. 460 की लॉग बुक की जांच पर यह पाया गया कि वर्ष 1997-98 के दौरान उक्त वाहन की औसत निम्नविवरणानुसार लगभग 6 कि.मी. दर्शाई गई थी जबकि सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिप्सी की औसत [illegible] कि.मी. स्थानीय यात्रा व लम्बी यात्रा पर 8½ कि.मी. निर्धारित की गई थी । इस सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निर्धारित [illegible] से कम आई औसत के

लगातार पृ. 48 पर...

कारण अधिक राशियों की वसूली दोषी व्यक्ति से की जाए ।

मास	दूरी तय की गई कि.मी.	पैट्रोल की मात्रा	औसत
4/97	2501	404	6.19 कि.मी.
5/97	3111	508	6.12
6/97	3035	467	6.49
7/97	3530	574	6.14
8/97	1480	246	6.01
9/97	3070	502	6.11
10/97	3357	555	6.04
11/97	1231	202	6.09
12/97	1721	286	6.01
1/98	3256	542	6.00
2/98	1951	330	5.91
3/98	2381	400	5.95

31. अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन दो रोड रोलर संख्या 8238 व 22542 कार्यरत रहे हैं परन्तु उक्त रोड रोलरों द्वारा प्रति मास किये गये कार्य से सम्बन्धित पूर्ण अंकेक्षण अवधि की आउट टर्न एवं प्रति लीटर औसत की विवरणी तैयार नहीं की गई थी । इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

32. वाउचर संख्या 11 मास 3/98 राशि 35,493/=रुपये

उक्त वाउचर द्वारा 28,300/=रुपये की राशि 25 अदद जी.आई. पाईप 65 एम.एम. के क्रय हेतु हि0 प्र0 एग्रो इंडस्ट्री,धर्मशाला को भुगतान की गई । परन्तु उक्त क्रय से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई तथा न ही इस क्रय हेतु कोई उद्देश्य दर्शाया गया । इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

33. वेतन एवं भत्तों के रूप में रु0 6,272/=रुपये की अधिक अदायगी :-

निम्न अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएं, वेतन निर्धारण आदेश व वेतन तथा वेतन का बकाया राशियों के बिलों की जांच में यह पाया गया कि निम्न अधिकारियों का वेतन दिनांक 1.7.97 को रु0 9750/= रुपये पत्र संख्या 629-31 व 684-86 ,दिनांक 19.5.98 व 22.5.98 द्वारा निर्धारित किया गया था जबकि इन्हें उक्त अवधि से लेकर 30.4.98 तक 10,025/=रुपये प्रति मास की दर से वेतन का भुगतान

लगा. पृ. 49 पर...

किया गया था । परिणामस्वरूप इन अधिकारियों को निम्न विवरणा= नुसार कुल 6272/=रुपये की अधिक अदायगी की गई, जिसकी वसूली तुरन्त की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए

(अ) श्री आर.एस. जावात, सहायक अभियन्ता

	निर्धारित वेतन	महंगाई भत्ता	भुगतान किया गया वेतन	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान	अधिक अदायगी
97 से 2.97	9750.00	1268.00	10,025.00	1303.00	310×6=	1860.00रुपये
96 से .96	9750.00	1560.00	10,025.00	1604.00	319×4=	1276.00रुपये

(ब) श्री जगत राम, सहायक अभियन्ता

97 से 2.97	9750.00	1268.00	10,025.00	1303.00	310×6=	1860.00रु.
98 से .98	9750.00	1560.00	10,025.00	1604.00	319×4=	1276.00रु.

कुल राशि: 6272.00रुपये

34. समायोजन वाउचर संख्या 65 मास 3/98 राशि 4,57,442/=रुपये

अवधि 1.1.96 से संशोधित वेतनमानों पर वेतन की बकाया राशियों के बिलों की जांच पर यह पाया गया कि निम्नविवरणानुसार श्री दीवान चन्द चौकीदार को कुल 425[illegible]/=रुपये की अधिक अदायगी की गई, जिसे उक्त कर्मचारी से तुरन्त वसूल करके की गई अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

(अ) ~~अदा की गई राशि~~

देय ... अदा की गई ... अन्तर ... कुल अन्तर

वेतन ... एच.आर.ए. आई.आर. वेतन ... एच.आर.ए. आई.आर. वेतन ... एच.आर.ए. आई. वेतन भी.

लगातार पृष्ठ 50 पर...

35. निम्नलिखित ... पर ... कि निम्नलिखित ... नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति ... प्रतिपूर्ति की गई है ...

(क) अदा की गई राशि

अवधि	देय			अदा की गई			अन्तर			कुल अन्तर			
	वेतन	डी.ए.	आई.आर.	वेतन	डी.ए.	आई.आर.	वेतन	डी.ए.	आई.आर.	वेतन	डी.ए.	आई.आर.	योग
1.3.96 से 30.6.96	3550.00	—	—	1115.00	1650	265.00	2435.00	1115/-	265.00	14650/-	6690/-	1590/=	5330/=

(ख) भुगतान योग्य राशि

अवधि	वेतन	डी.ए.	आई.आर.	वेतन	डी.ए.	आई.आर.	
1.3.96 से 30.6.96	3550.00	—	—	1115/-	1650/=	265/-	अन्तर = 520×4 = 2080.00

अधिक अदायगी 4250.00

लगातार पृष्ठ 51 पर....

35. निम्नलिखित कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित औषधियों/मदों पर किए व्यय की प्रतिपूर्ति की गई है जो कि चिकित्सा नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकार्य नहीं थी। अतः ऐसी औषधियों/मदों की राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

वाउचर सं.	मास	भुगतान की गई राशि	देय राशि	अधिक भुगतान	औषधि जो देय नहीं थी	कर्मचारी का नाम
21	6/97	610.00	450.00	160.00	महारस्नादी क्वाथ	श्री एच.एन. धीमान, कनिष्ठ अभियन्ता
39	3/98	397.00	252.00	145.00	Unizyme	श्री जी.पी. गुप्ता वरिष्ठ सहायक

36. निम्नलिखित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता व्यय बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार यात्रा भत्ता दावों का अधिक भुगतान किया गया है। इस प्रकार अधिक भुगतान की गई राशियों का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त दोषी कर्मचारियों से अधिक भुगतान की गई राशियों की वसूली की जाए।

वाउचर सं.	मास	भुगतान की गई राशि	देय राशि	अधिक भुगतान	किसे भुगतान किया गया	अधिक भुगतान का विवरण
8	6/97	233.00	223.00	10.00	श्री टीका राम चौकीदार	दैनिक भत्ता
9	6/97	741.00	731.00	10.00	--"--	-"-
17	6/97	327.00	268.50	58.50	श्री टी.डी. शर्मा कनिष्ठ सहायक	-"-

37. संविदाकार खाता बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य बिलों को संविदाकारों के खातों में दर्ज करते समय अनेक प्रविष्टियां गलत की जा रही है। ऐसी अनेक प्रविष्टियों का आवश्यक सुधार अंकेक्षण के समय पर करवाया गया। इसके अतिरिक्त संविदाकार खाता बही के योग प्रत्येक माह/तिमाही का पुष्टीकरण न करके अन्तिम बिल पास करते समय ही किए गए हैं तथा खाता में अनेक स्थानों पर काट-छांट भी की गई थी। भविष्य में संविदाकार खाताबही का रख-रखाव नियमानुसार सही प्रकार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लगातार पृष्ठ 52 पर....

38. **अभिलेख प्रस्तुत न करना :-** निम्नलिखित वाउचरों की अंकेक्षण के समय पड़ताल नहीं की जा सकी क्योंकि इन वाउचरों से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 87 तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया । अंकेक्षण में यह बताया गया कि उक्त माप पुस्तिका आवास बोर्ड मुख्यालय में किसी अन्य प्रकरण के साथ भेजी गई है जो कि प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए ।

वाउचर सं.	दिनांक	राशि	निर्माण कार्य का नाम
32	11.3.98	24727.00	18 नं. टाईप-3 सिरमौर 24 नं. टाईप-2 6 नं. टाईप -1 2 नं. टाईप-4
34	11-3-98	14608.00	1 नं० टाईप-5 [illegible]

39. **लघु आपत्ति विवरणिका :-** यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया था ।

40. **निष्कर्ष :-** पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अत्याधिक लम्बी अवधि से अनिर्णीत पड़े पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवास बोर्ड के प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट अत्याधिक त्रुटियों के दृष्टिगत लेखाओं के रखरखाव में और अधिक सुधार एवं आन्तरिक जांच को सदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
उप नियन्त्रक(लेखा परीक्षा),
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल.ए.)2(सी) 15(14) 119/89-खण्ड-7 दिनांक, शिमला-2.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 26 DEC 1998

पंजीकृत: 1) कार्यपालक अभियन्ता, हि० प्र० आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का अनुपालन उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2) आयुक्त एवं सचिव (आवास) हि०प्र० शिमला-2.

3) सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हि० प्र० आवास बोर्ड, निगम विहार, शिमला-2.

4) श्री [illegible], उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा), द्वारा.....

5) श्री [illegible], सहायक [illegible], लेखा परीक्षा, द्वारा....

[signature] 26/12/98
उप नियन्त्रक, लेखा परीक्षा,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.